**15.35 hrs.**

## RESOLUTION RE: CONSTITUTION OF NATIONAL BOARD FOR THE DEVELOPMENT OF HIMALAYAN STATES

MR. DEPUTY-SPEAKER: Before I call Shri Virender Kashyap to move his Private Members' Resolution regarding Constitution of National Board for the Development of Himalayan States, time for Discussion of this Resolution has to be allotted by the House.

If the House agrees, two hours may be allotted for its discussion!

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes, Sir.

**श्री वीरेन्द्र कश्यप (शिमला):** महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं **:**

> "हिमालयी क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति जिसके कारण भू-स्खलन, बादल फटना, भूकंप, ओलावृष्टि और अन्य प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, जिनके परिणामस्वरूप जान और माल का भारी नुकसान होता है और साथ ही उत्तुंग पहाड़ियों के कारण वहां सड़कों, भवनों और अन्य विकास कार्यों के निर्माण की उच्च लागत और क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए यह सभा सरकार से आग्रह करती है कि वह संघ सरकार की पूरी वित्तीय सहायता से-
> (1) हिमालयी क्षेत्र के राज्यों के चहुंमुखी और तीव्र विकास के लिए;
> (2) इन राज्यों में विद्यमान केन्द्रीय योजनाओं और कार्यक्रमों की मॉनीटरिंग के लिए; और
> (3) उक्त क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा के प्रभाव को न्यूनतम करने के उपाय सुझाने के लिए 'राष्ट्रीय हिमालयी राज्य विकास बोर्ड नामक एक बोर्ड' का गठन किया जाए।"

**15.36 hrs.**

(Dr. M. Thambidurai *in the Chair*)

महोदय, आपने मुझे राष्ट्रीय महत्व के इस ज्वलंत विषय पर गैर-सरकारी संकल्प प्रस्तुत करने का जो अवसर प्रदान किया है उसके लिए मैं सर्वप्रथम आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं हिमाचल प्रदेश के शिमला सुरक्षित संसदीय क्षेत्र से प्रथम बार इस माननीय सदन का सदस्य बनकर आया हूं।

महोदय, देश में कुल ग्यारह हिमालयी राज्य हैं जिनमें असम, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम एवं सिक्किम हैं। इन राज्यों की कुल आबादी छह करोड़ पैंतीस लाख से ज्यादा है तथा कुल क्षेत्रफल लगभग पांच लाख तिरानवें हजार किलोमीटर है। मैदानी भागों में सड़क, स्कूल और स्वास्थ्य केन्द्रों एवं अन्य विकास कार्यों पर जितना व्यय होता है उसका कई गुणा ज्यादा व्यय पहाड़ी राज्यों में होता है। उदाहरणस्वरूप एक किलोमीटर मैदानी भाग

में सड़क बनाने में जो लागत आती है, पहाड़ी राज्यों के कई कठिन स्थानों पर यह लागत कई गुणा अधिक आती है। मैं समझता हूं कि इन कठिन परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए वहां की हमारी उत्तुंग श्रृंखलाओं में जो लोग फंसे हैं और हिमाचल प्रदेश के हिमालयी अंचल में बसे होने के कारण वहां कुछ भाग ऐसे हैं जहां वर्ष में केवल चार महीने ही सामान्य जीवन चलता है और शेष समय में बर्फ जमी रहती है। हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि जहां गर्मियों में ऊना एवं उसके साथ लगते क्षेत्रों में भयंकर गर्मी और लू की तपिश महसूस की जा सकती है और वहीं दूसरी ओर हिमाचल के ही जिला लाहौल-स्फीति और किनौर के कुछ भागों में भयंकर बर्फबारी के कारण सर्दी की ठिठुरन महसूस की जा सकती है। हम पहाड़ों में रहने वाले लोग बहुत कठिन परिस्थिति में अपना गुजारा करते हैं क्योंकि हम लोग जंगलों से घिरे हुए हैं। देश की 62 वर्ष की आजादी में पहाड़ी राज्यों के लिए जितनी भी योजनाएं बनीं उनका फायदा पहाड़ी राज्यों के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में अभी तक नहीं पहुंच पाया है। इस कारण से इन राज्यों के लोग विकास के लिए अभी भी तरस रहे हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि केन्द्र सरकार जो भी योजनाएँ बनाती है, वह वहां की विशेष भौगोलिक परिस्थितियों, सोशियो-इकोनॉमिक और सोशल कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए नहीं बनाती। भारतीय उपमहाद्वीप की सुरक्षा में दक्षिण से समुद्र और उत्तरी संभाग में हिमालय को देश की सुरक्षा का प्राचीर कहा जाता है। केन्द्र सरकार ने दक्षिण और तटवर्ती राज्यों में अरब सागर और हिन्द महासागर से टकराते राज्यों में एक महासागर मंत्रालय बनाने की मांग की जिसकी देख-रेख में इन तटीय राज्यों की समस्याओं को इस मंत्रालय के माध्यम से सुलझाया जा सके। केन्द्र में महासागर मंत्रालय बन जाने के पश्चात् देश के तटवर्ती राज्य अनेक लाभ उठा रहे हैं लेकिन लोक सभा में देश के उत्तरी संभाग के हिमालय राज्यों के सदस्यों की कम संख्या और आपस में तालमेल न होने के कारण केन्द्र में महासागर मंत्रालय की तरह हिमालय विकास मंत्रालय स्थापित नहीं हो सका। आज हिमालय पूरे देश के ऋतु-चक्र के लिए खतरा बना हुआ है। इसलिए केन्द्र को हिमालय राज्यों की कमज़ोर वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए हिमालय विकास मंत्रालय या हिमालय विकास बोर्ड की स्थापना करनी चाहिए। मैं आपके ध्यान में और सदन के ध्यान में लाना चाहता हूँ कि आज तक जो भी हमारे प्रधान मंत्री बने, उन्होंने हमेशा ही इस तरह की एजेन्सीज़ की वकालत की है और गत दिनों जब अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे प्रधान मंत्री थे और वे हिमाचल प्रदेश आए थे, तो उन्होंने भी इस प्रकार की एजेन्सी बनाने की आवश्यकता महसूस की थी। मैं सदन के समक्ष कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार के ट्रांस हिमालयन विकास प्राधिकरण के गठन की घोषणा करने के लिए बहुत सी इंटर मिनिस्ट्री टास्क फोर्स की बात भी 2004 में हुई थी परंतु उसकी कोई बैठक नहीं हो सकी और जिस कारण से हमें इस प्रकार के बोर्ड के गठन का लाभ नहीं हुआ या जो टास्क फोर्स बनाई गई थी, उसका लाभ नहीं मिल सका।

महोदय, हिमालय क्षेत्र के संरक्षण और विकास के लिए पूर्व में विभिन्न स्तरों पर केन्द्र सरकार का इस ओर ध्यान आकर्षित किया जाता रहा है। इन राज्यों की विशिष्ट भौगोलिक पृष्ठभूमि के परिप्रेक्ष्य में भारत के प्रधान मंत्री की देखरेख में महासागर विकास की तरह हिमालय विकास मंत्रालय का भी गठन किया जाए जिससे हिमालय के पर्यावरणीय संरक्षण और उसमें स्थित हिमालय राज्य अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, असम, मेघालय, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के समग्र विकास के साथ साथ क्षेत्र में आर्थिक समृद्धि के द्वार खुल सकें। महोदय, इन हिमालयी राज्यों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पश्चिमोत्तर में पाकिस्तान और उत्तर पूर्व में भूटान, चीन, नेपाल, बंग्लादेश और म्यांमार से लगती है जिसके कारण भारतीय गणतंत्र की सुरक्षा और अखंडता की दृष्टि से इन हिमालयी राज्यों का विशेष सामरिक और आर्थिक महत्व हो जाता है। एक ओर जहां पाकिस्तान, बंग्लादेश और म्यांमार से घुसपैठ और आतंकवाद का सदैव खतरा बना रहता है, वहीं नेपाल से माओवादियों का खतरा रहता है और चीन की नज़र सदैव सिक्किम पर रहती है। भारत के इन्हीं हिमालय क्षेत्र से होकर चिनाब, रावी, व्यास, झेलम, ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना आदि नदियाँ बहती हैं जो क्रमशः पश्चिम दिशा में अरब सागर और दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं। मानसून में इन नदियों में आने वाली भीषण बाढ़ से अपार वन संपदा की हानि के अलावा भूस्खलन, बादल फटने और दैवीय आपदाओं से अपार जान-माल की हानि होती है जिससे प्रति वर्ष केन्द्र और संबंधित राज्य सरकारों को बाढ़ राहत कार्यों एवं बाढ़ नियंत्रण पर अरबों रुपये खर्च करने पड़ते हैं। इन सभी हिमालयी राज्यों की भौगोलिक एवं सामाजिक संरचना लगभग एक समान है और यह इतनी विकट है कि समग्र दृष्टि से इसके आर्थिक विकास और विकास प्रबंधन की ओर ध्यान दिये जाने की प्रबल आवश्यकता है। [illegible]ी के अनुरूप केन्द्रीय स्तर पर हिमालय संरक्षण और विकास विभाग का गठन आवश्यक हो गया है, जिससे केन्द्रीय स्तर पर हिमालय संरक्षण व विकास की नीति बन सके। इस नीति में हिमालय की पर्यावरण संरक्षण प्रणाली, भू-पारिस्थितिकी और मानव संसाधन विकास एवं प्राकृतिक संसाधनों के इष्टतम उपयोग एवं विकास की नई वैज्ञानिक सोच रेखांकित की जानी चाहिए और जिसका हिमालयी क्षेत्र के उपरोक्त सभी राज्य अनुसरण करें। ये राज्य आर्थिक रूप से अक्षम, केन्द्रीय सहायता पर निर्भर होने के कारण अपना युक्तियुक्त विकास नहीं कर पा रहे हैं।

महोदय, एन.डी.ए. की सरकार के समय जो ग्राम सड़क योजना, सर्व शिक्षा अभियान व केन्द्र की ओर से अन्य योजनाएं बनीं उनके माध्यम से देश के मैदानी भागों में विकास देखने को मिला, लेकिन इन योजनाओं का यदि हम विश्लेषण करें, तो पहाड़ी राज्यों को मात्रात्मक रूप में जितना धन मिलना चाहिए था, उतना नहीं मिला और उसके अनुसार पहाड़ी राज्यों का विकास भी कम हुआ। यू.पी.ए. सरकार के समय में तो इन योजनाओं की गति अत्यन्त धीमी हो गई है।

महोदय, मैं इस बारे में कहना चाहता हूं कि केन्द्रीय स्तर पर जो भी योजनाएं बनती हैं, वे हिमालयी राज्यों की विकट परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए बननी चाहिए। उदाहरण के तौर पर केन्द्र की इन्दिरा आवास योजना में एक कमरा बनाने के लिए 28500 रूपया दिया जाता है, जो कि बहुत कम है। पहाड़ी क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति इस प्रकार की है, वहां सड़कें भी नहीं हैं, जिससे हेडलोड पड़ता है। इससे इस छोटी सी राशि से एक कमरे का चौथाई काम भी नहीं होता है। इसलिए मेरा कहना है कि इस प्रकार की जो भी केन्द्रीय योजनाएं बनें, वे वहां की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए बननी चाहिए और उसी प्रकार से वहां के लिए धन आवांटित होना चाहिए।

महोदय, भारतीय उप महाद्वीप की एक अद्वितीय भौगोलिक विविधता है। एक तरफ हमारे पास अंतः ज्वालामुखी पठार सहित एक लम्बी उपजाऊ तट रेखा है और दूसरी ओर ऊंचे और शक्तिशाली हिमालय की सीमा वाले विस्तृत कच्छ के मैदान हैं। प्रत्येक क्षेत्र अपनी स्वयं की जातीय जैव विविधता और अद्भुत जन सांख्यिकी से समृद्ध हैं। प्रत्येक क्षेत्र की अपनी विशेषताएं, ताकत, समस्याएं, आकांक्षाएं हैं और स्वयं ही उनके समाधान की अद्भुत प्रवृत्ति है। प्रत्येक क्षेत्र की मांग को पूरा करने के लिए कोई सीधा समाधान नहीं है। तथापि इन सभी जैव-विविधताओं में एक सामान्य डिनोमीनेटर है, जो इनमें से कुछ क्षेत्रों को एक अद्वितीय सब-सैट में बांधता है। ऐसे प्रत्येक सब-सैट की अपनी अद्वितीयता परिभाषित है और एक सामान्य सूत्र से जुड़े हुए हैं।

हालांकि सभी तटीय प्रदेश एक समान नहीं हैं, बल्कि वे स्पट रूप से भिन्न हैं। जैसे कच्छ के मैदान या हिमालयी प्रदेश। ऊपरी तौर पर कुछ सामान्य पहलू हो सकते हैं, लेकिन वह समानता ठीक उसी तरह से है जैसे चाक और पनीर। विस्तार से कहा जाए, तो भिन्नता गणनात्मक हो सकती है और वह क्षेत्र विशेष के विशिष्ट मुद्दों के पूरे गैमट (Gamut) को सम्मिलित कर सकती है। भारत जैसे विविधता पूर्ण देश में जहां यह कहा जाता है कि **"कोस-कोस पै बदले पानी, नौ कोस पै बानी"** और यह सब तब और अधिक जटिल और दुरूह हो जाता है जब न केवल योजनाएं एवं कार्यक्रम आरम्भ किए जाते हैं बल्कि वास्तव में जब उन्हें हकीकत में लागू करने की बात की जाती है। भिन्न-भिन्न प्रदेशों की अलग-अलग जरूरतें होती हैं। लोगों के विभिन्न परिप्रेक्ष्य होते हैं। समस्याएं अनन्य हैं और सभी के लिए एक जैसा समाधान नहीं है। अतः जब हम उत्थान एवं विकास के लिए प्रगतिशील उपायों की बात करते हैं तब हम वास्तव में विभिन्न आवश्यकताओं के बीच अद्वितीय तालमेल बनाने के लिए एक मुख्य (मूल) समाधान चाहते हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि इसे लागू करने में इतनी ज्यादा बाधाएं आती हैं कि अंतिम परिणाम हमारी साधारण

अपेक्षाओं से बहुत दूर होता है। तब इसका समाधान क्या है? क्या हर स्थिति का एक अलग समाधान है? क्या यह एक गोल छिद्र में चौकोर खूंटी फंसाने का प्रयास करना है अथवा क्या सब मामलों का अलग-अलग अध्ययन होना चाहिए?

महोदय, विशेषकर पहाड़ी राज्यों की अपनी कई अनोखी विशिष्टताएं होती हैं और मुद्दों को समझने के लिए गहन अध्ययन की आवश्यकता होती है, ताकि संतोषजनक से असाधारण अंतिम परिणाम प्राप्त हो सकें। अपनी दूसरी अन्य दूसरी सीमाओं को भी समझना होगा। ज़मीनी सच्चाई को जांचने के लिए और सबसे अधिक संसाधनों की कमी है, जिसकी प्रत्येक क्षेत्र विशेष से, मुद्दों से हमें गहराई से अध्ययन करने की आवश्यकता होती है। सभी की जरूरतों को एकसाथ लेकर ही इनसे पार पाया जा सकता है। जैसे कि कहावत है - "The birds of same feather flock together". हमें अपने सभी प्रदेशों को कुछ समान समानताओं को श्रेणीगत करने की जरूरत है - चाहे वे भौगोलिक हों या जनसांख्यिकीय। समूह में उड़ने वाले पक्षियों में विवेक होता है, क्योंकि समूह में उड़ते हुए उनकी एक मंजिल, इच्छा, आवश्यकता और यहां तक कि स्वप्न भी एक जैसे होते हैं।

सभापति महोदय, राष्ट्रीय विकास परिषद् की 50वीं बैठक में हमारे हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल जी के शब्दों में अगर हम कहें तो पता चलता है कि आज इसकी बहुत आवश्यकता है कि पहाड़ी राज्यों के लिए इस प्रकार का बोर्ड गठित करना आवश्यक है, क्योंकि इन पहाड़ी राज्यों के विकास में मैं समझता हूं कि आज जितना धन मिलना चाहिए, उतना नहीं मिल रहा है। उन्होंने 21 दिसम्बर, 2002 को दिल्ली में राष्ट्रीय विकास परिषद् की 50वीं बैठक में जो कहा, उसे मैं यहां उद्धृत कर रहा हूं - "विकेन्द्रीकरण और निष्पक्षता विशेष रूप से विशिष्ट राज्यों की श्रेणी के संदर्भ में सामान्यत: हमारे देश की योजना प्रक्रिया अत्यधिक गहरी है। विशिष्ट श्रेणी के राज्यों की पूरी संकल्पना वर्टीकल के साथ-साथ क्षितिज के सिद्धान्त पर आधारित है। इस परिकल्पना के विशिष्ट श्रेणी के राज्यों के साथ समान रूप से व्यवहार किया जाता है, क्योंकि किसी राज्य को विशिष्ट श्रेणी के राज्य के आधार पर स्वीकृति मिलना उसके अपने अन्तर्निष्ठ विकासात्मक प्रतिकूल परिस्थिति और उत्पादन क्षमता के पर्याप्त संसाधनों की कमी होती है।" यह 2002 की बात थी और आज 2009 में भी हम इस पर सोच रहे हैं, विचार-विमर्श कर रहे हैं। मैं जरूरत इस बात की समझता हूं कि पहाड़ी राज्यों में विकास के लिए हमें केन्द्र से जितना धन उपलब्ध होना चाहिए, उतना नहीं हो पाता है। वहां कानून बने हैं। खास तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि हमारे यहां फोरेस्ट्स हैं। मैं समझता हूं कि उन राज्यों में मिनरल्स भी हैं। वहां या तो पानी है या जंगल हैं।

सभापति महोदय, आज हिमाचल प्रदेश में लगभग डेढ़ लाख करोड़ रुपए की वन सम्पदा है। मैं सदन के समक्ष यह रखना चाहता हूं कि इन पहाड़ी राज्यों में चारों तरफ वन थे और हम उन पर डिपेंड करते थे। वे वन के माध्यम से धनराशि उपलब्ध करवाते थे, परन्तु जब से फोरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 आया, उसके बाद से आज वहां पर एक भी पत्ता, एक भी लकड़ी की टहनी काटने नहीं दी जाती है। ये जो पहाड़ी इलाके हैं, जहां पर इतने सारे वन हैं, उनकी वजह से मैं समझता हूं कि आज वे हमारे देश के लंग्स की तरह काम कर रहे हैं, क्योंकि आज उन पेड़ों को काटने पर पूरा प्रतिबंध है। मैं हिमाचल प्रदेश की ही बात आपके सामने कहना चाहता हूं कि जब से यह कानून लागू हुआ है, वहां जितने भी विकास के कार्य हैं, वे सब रुक गए थे, क्योंकि वहां चारों तरफ जंगल हैं और जब जंगल हैं तो उसमें से सड़कें नहीं बन सकती हैं। अगर हमें स्कूल, होस्पिटल, सीएफसी, पीएफसी बनानी है या वहां से आईपीएच की स्कीम से नाली बनानी है तो उसके लिए भी हमें परमीशन लेनी पड़ती है। कहने का मकसद यह है कि आज इन जंगलों को प्रोटेक्ट करने के लिए सभी पहाड़ी इलाकों के जितने भी राज्य हैं, उन्होंने उस पर पूरा ब्लैंकेट बैन लगाया है और हिमाचल प्रदेश में टी.डी. राइट्स होते थे, वहां के जो स्थानीय लोग थे, उन्हें पेड़ काटने और घर बनाने की जब जरूरत होती थी तो उन्हें जंगलों से पेड़ मिला करते थे। उस पर भी पूरी तरह से बैन लग गया है। स्थिति यह थी है कि अगर किसी के घर में कोई मौत हो जाती थी तो वह जंगल से लकड़ी काट कर अंत्येष्टि किया करते थे। आज हमारे पहाड़ी इलाकों में यह स्थिति आ गई है कि वहां हम सूखी लकड़ी भी नहीं काट सकते हैं। सभापति महोदय, इसके साथ-साथ मैं कहना चाहता हूं कि इसका एक जो बहुत ही उल्टा असर पड़ा है वह यह है कि अभी पिछले दिनों लगभग आठ महीनों से बर्सातें नहीं हुईं। इसके कारण पहाड़ों में सूखा पड़ा हुआ है। वहां जो पत्ते गिरते हैं, खासकर जो चील (चीड़) के जंगल हैं, उनमें चील के पेड़ के जो पत्ते गिरते हैं, वे एक प्रकार से दारू का काम करते हैं और जब उनमें आग लगती है, तो जो वहां के स्थानीय लोग हैं, वे उस आग को बुझाने के लिए नहीं आते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि जंगलों के साथ वहां के लोगों की अटैचमेंट नहीं है। पहले वे फॉरैस्ट को प्रोटैक्ट करते थे, परन्तु जब से उनकी इस प्रकार की दुर्दशा कर दी गई है कि उनके किसी प्रिय की मौत होने के बाद भी उसकी अन्त्येष्टि के लिए उन्हें वहां से लकड़ी नहीं लेने दी जाती है। तब से उनके मन में यह भावना आ गई है कि हम इन जंगलों को बचाकर क्या करेंगे। इस प्रकार के स्टिंजेंट एक्ट और ऐसे कठोर अधिनियम बनाकर वहां के लोगों को उनकी जरूरत का सामान भी जंगलों से नहीं लिए जाने दिया जा रहा है। इसलिए उनका जंगलों के साथ अटैचमेंट नहीं हो रहा है।

महोदय, यह ठीक है कि जंगलों को नष्ट होने से बचाने के लिए अधिनियम बनने चाहिए और इस अधिनियम के बनने के बाद जंगल बच रहे हैं। मैं भी चाहता हूं कि जंगल बचने चाहिए और देश के

वातावरण का संरक्षण होना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं हैं। इसके साथ-साथ मेरा मानना है कि केन्द्र सरकार के स्तर पर, जैसा कि मैंने कहा कि हिमाचल प्रदेश का ही अगर हम एग्जाम्पल लें, तो लगभग डेढ़ लाख करोड़ रुपए की संपत्ति हिमाचल प्रदेश के जंगलों में है, परन्तु उसके काटे जाने पर अब कम्पलीट और ब्लैंकेट बैन है, इसलिए वे काटे नहीं जा सकते हैं और हमारे पहाड़ी राज्यों की जो अलग-अलग सरकारें हैं, उन्होंने भी पूरी तरह से इस बात को माना है कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, 1980 के अनुसार ही काम किया जाएगा। पहाड़ी राज्यों ने सबसे पहले देश को मान्यता दी है। देश के स्वास्थ्य के लिए उन्होंने ज्यादा सोच रखी है। इसलिए केन्द्र सरकार से मेरा आग्रह है कि जो हमारे वन थे, जो हमारी आय के साधन थे, उनकी एवज में, उसे कंपैनसेट करने के लिए इतनी धनराशि दी जाए, जिससे पहाड़ी राज्य अपने विकास को सुचारू रूप से कर सकें। जो अन्य राज्य हैं, वहां अनेक प्रकार के मिनरल्स पाए जाते हैं और अनेक प्रकार के अयस्क (ओर) पाए जाते हैं, चाहे वे लोहे के हैं या तेल के, उनके एवज में कुछ प्रदेशों को रॉयल्टी दी जाती है। हम समझते हैं कि इन पहाड़ी राज्यों के जो जंगल हैं या जो पानी है, वे हमारे एक प्रकार से मिनरल ही हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि हमें उनकी एवज में केन्द्र सरकार की ओर से रॉयल्टी दी जानी चाहिए, ताकि हम अपना समग्र, संतुलित एवं ठीक प्रकार से विकास कर सकें।

महोदय, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि आज हम ग्लोबल वॉर्मिंग की बड़ी बात कर रहे हैं। इस ग्लोबल वॉर्मिंग की वजह से जो हमारा ऋतु चक्र था, वह पूरी तरह से असफल और विफल हो गया है। समय पर बारिशें नहीं होती हैं। इस वजह से मैं समझता हूं कि आज इन हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पैकेज मिलना चाहिए, ताकि फॉरेस्ट कवर ज्यादा से ज्यादा हो सके। उसे हम ज्यादा से ज्यादा बचा सकें।

महोदय, एक रिपोर्ट मैं पढ़ रहा था। उसे पढ़कर मुझे हिमालयी राज्यों की बहुत भयानक तस्वीर नजर आई। वह रिपोर्ट है "Himalayan Misconceptions and Distortions: What are the facts?" इस रिपोर्ट में ग्लोबल वॉर्मिंग के संबंध में उन्होंने जो कहा है, उसे मैं उद्धृत कर रहा हूं। यह 21 जुलाई, 2003 को लंदन से प्रकाशित हुई थी। इसमें उन्होंने कहा है कि-

> "On a related theme *The Times* of London (21 July 2003), reporting on an international meeting held at the University of Birmingham, noted that 'Himalayan glaciers could vanish within 40 years because of global warming…500 million people in countries like India could also be at increased risk of drought and starvation.' Syed Hasnain is

quoted as affirming that ‘the glaciers of the region (Central Indian Himalaya) could be gone by 2035’.

According to Barry (1992: 45) the average temperature decrease with height (environmental lapse rate) is about 6 degree C/km in the free atmosphere. The dry adiabatic lapse rate (DALR) is 9.8 degree C/km. If it is assumed that the equilibrium line altitude (comparable with the ‘snow line’) in the Central Himalaya is about 5,000 masl and it will need to rise above 7,000 metres if all the glaciers are to be eliminated, then the mean temperature increase needed to effect this change would be about 12-18 degree C.”

**16.00 hrs.**

"…Given the degree of global warming, summers in Kolkata would be a little uncomfortable."

इस प्रकार की जो ग्लोबल वार्मिंग की हम बात करते हैं, मैं यह समझता हूं कि सीधे-सीधे तौर से हमें आज आवश्यकता इस बात की है कि जो हिमालयन स्टेट्स हैं, उन स्टेट्स के लिए केन्द्र की तरफ से इस प्रकार की योजनाएं बनें, स्पेशल पैकेजेज़ उनको मिलें, तभी यह सब कुछ हो सकता है। मैं आपके माध्यम से सदन के ध्यान में यह लाना चाहता हूं, क्योंकि आज हमारा वाटर लेविल बहुत नीचे चला गया है और वैज्ञानिकों की राय मैं कहना चाहता हूं कि शोध के मुताबिक जो उन्होंने कहा, दुनिया भर में उनकी जो आम राय थी, उनका कहने का मतलब यह है कि 31 प्रतिशत धरती में अगर पानी खड़ा रहे। वह पानी रीचार्ज के लिए धरती के अन्दर जाना चाहिए, तभी हिमनद वाली नदियों और जल स्रोतों से लगातार पानी हमें मिल सकता है।

**16.01 hrs.**

(Dr. Giraja Vyas *in the Chair*)

आज हम देख रहे हैं, खासकर इन हिमालयी राज्यों में कि हमारे जितने जल स्रोत थे, बावड़ियां थीं और जितने दूसरे चश्मे थे, वे पूरी तरह से सूख गये हैं। एक सर्वे के अनुसार लगभग 90 प्रतिशत पहाड़ी जल स्रोत सूखे हो गये हैं। इसका सीधा-सीधा सा कारण एक है कि आज हमारे यहां बहुत सा कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उससे भी हमारा स्पेस ढक गया है और उसमें पानी नहीं रिसता है। लगभग 13 प्रतिशत पानी आज धरती के अन्दर रिस रहा है, जबकि 31 प्रतिशत पानी रिसना चाहिए। इसलिए भी मैं समझता हूं कि आज जितने ज्यादा वन हम लगा सकेंगे, उनकी उतनी ज्यादा आवश्यकता है।...(व्यवधान)

**सभापति महोदया :** कश्यप साहब, समय हो गया है। आपकी बहुत बात हो गई।

**श्री वीरेन्द्र कश्यप :** मैं आपको यह याद दिलाना चाहता हूं कि जो हमारे पहाड़ी राज्यों के लोग हैं, वे ईको फ्रेंडली ज्यादा होते हैं और जंगलों को वे अपने बच्चों की तरह से पालते हैं, परन्तु जब कानून इस प्रकार के बन जाते हैं, जिससे उनको उसका व्यक्तिगत लाभ नहीं हो पाता है, तब इस प्रकार की स्थिति हमारे सामने आती है। हमें याद रखना चाहिए कि कुछ वर्ष पहले हमारे उत्तराखंड के लोगों ने उस वक्त उस तरफ एक बहुत बड़ा भारी चिपको आन्दोलन चलाया था, वह सीधे-सीधे वनों की रक्षा के लिए चलाया गया था। मैं समझता हूं कि आम आदमी भी वनों की रक्षा करना चाहता है। हमारे ऋषि-मुनि भय और हम लोग भी आज जंगलों में जो वृक्ष होते हैं, उनको पूजते हैं तो क्यों नहीं, जो आदमी और जंगल का रिश्ता है, पेड़ का

रिश्ता है, उसे हमें ज्यादा मजबूत बनाना चाहिए। उस रिलेशन को डैवलप करने के लिए इस प्रकार की योजनाएं अगर बनेंगी तो मैं समझता हूं कि वे हमारे लिए बहुत लाभकारी होंगी।

जैसा मैंने कहा कि आज आवश्यकता इस बात की है कि उन जंगलों को बचाया जाये, परन्तु जैसा मैंने कहा कि आगें जब लगती हैं तो उससे हमारा फ्लोरा और फौना बहुत बुरी तरह से प्रभावित होता है। हमारे वनों में इस प्रकार के जो अच्छे-अच्छे पशु-पक्षी थे, वे भी खत्म होते जा रहे हैं। मैं एक छोटी सी अगर आपके सामने रिपोर्ट पढ़ दूं तो आप अपने आप ही समझ जाएंगी कि किस प्रकार की हालत आज हो रही है।

वनों में बढ़ते मानवीय हस्तक्षेप, अवैध शिकार, बदलते मौसम और इन दिनों जंगलों की आग ने वन्य जीवों को संकट में डाल दिया है। वन्य जन्तुओं पर हिमालय की नमी समाप्त होने का भी असर पड़ा है। उनमें हिम तेंदुआ, कस्तूरी मृग, हिमालयी भालू, निचली हिमालयी घाटियों में रहने वाले गुलदार तथा पक्षियों में डफिया, मोनाल तथा पहाड़ी बटेर आदि मुख्य हैं। इसके साथ ही हिमालयी क्षेत्र में तस्करों की नजर वन ओषधियों पर भी पड़ी है, जो 3000 मीटर से लेकर 5000 मीटर तक की ऊंचाई पर उगती हैं और जिनसे परम्परागत दवाएं बनाई जाती हैं।

हिमालय के मौसम के बिगड़ने की सबसे बड़ी मार हिम तेंदुए पर पड़ी है। वन विभाग की सूचना के अनुसार 1984-85 में गढ़वाल व कुमाऊं के हिमालयी क्षेत्र में हिम बाघों की संख्या छह थी। इसके बाद हिम बाघ दिखना बन्द हो गये। 3600 मीटर से 4000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाने वाला मूल रूप से एशियाई प्रजाति का यह बाघ दो फुट लम्बा व 50 किलो वजन तक का होता है। भेड़, बकरी, भालू, थार, कस्तूरी व खरगोश इसका भोजन हैं। [illegible]ीय क्षेत्र में हिमबाघ की खाल से बनने वाले फर के कोटों की कीमत करीब 20 लाख रूपए है। वहां जो वन्य प्राणी हैं, आज जंगल कम होने की वजह से या आग वगैरह लग जाने की वजह से उनकी खराब स्थिति हो रही है। हमारा वन्य प्राणी वहां समाप्त होता जा रहा है।

महोदय, आपके माध्यम से आज मुझे पहली बार यहां बोलने का अवसर मिला, क्योंकि मैं पहली बार इस संसद का ही नहीं, बल्कि लोकसभा का सदस्य बनकर आपके बीच आया हूं। आपने मुझे बोलने के लिए बहुत समय दिया और सभी सीनियर सांसदों ने मेरी बात को सुना। मैं समझता हूं कि इसमें कुछ कमियां रह जाती हैं, पर जो मेरा इंटरनल मकसद है, वह शायद आप तक पहुंच गया होगा। मेरा आपसे एक ही आग्रह है कि जो मैंने प्रस्ताव आज मूव किया है, यह सब कुछ करने के लिए एक राष्ट्रीय हिमालयी राज्य विकास बोर्ड गठित होना चाहिए। आज से कई वर्ष पहले, मैं उनका नाम लेना चाहूंगा श्री हेमवती नंदन बहुगुणा जी का, जिनको हिमालय पुत्र के नाम से जाना जाता था, उसके बाद डा. वाई. एस. परमार, जो हिमाचल प्रदेश के कई वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने भी इस प्रकार की बात कही थी। हिमाचल प्रदेश

के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, प्रेम कुमार धूमल जी, वह भी काफी चिंता कर रहे हैं। मैंने शुरूआत में भी उनके संदर्भ में कहा है। आज वे चाहे कार्बन क्रेडिट की बात कह रहे हों, पर्यावरण संरक्षण की बात कह रहे हों, हर जगह उन बातों को उठा रहे हैं।

महोदय, जितने भी हमारे देश के प्रधानमंत्री आज तक हिमाचल प्रदेश में गए या पहाड़ी राज्यों में गए और जब-जब वहां पर मांग उठी, तो उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से यह होना। परंतु वह क्यों नहीं हुआ? यह आज हाउस को जानना है कि जो इस प्रकार के पहाड़ी राज्य हैं, उनके लिए कौन सी योजनाएं हैं। वैसे पहाड़ी राज्यों के लिए जो नार्थ-ईस्ट का हमारा एरिया है, उसके लिए योजनाएं बनी हैं, परंतु हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर के लिए नहीं। आज रेलवे बजट पेश हुआ। रेल बजट में हिमाचल प्रदेश के लिए कुछ खास नहीं है। ...(व्यवधान)

**सभापति महोदया** : कश्यप जी, हम चाहते हैं कि सुषमा जी का भी संकल्प आ जाए। अब आप अपनी बात समाप्त करिए।

**श्री वीरेन्द्र कश्यप** : अंत में पुनः आपका आभार प्रकट करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

MADAM CHAIRMAN: Resolution moved:

" Having regard to the gergraphical conditions of Himalayan region, which cause landslides, cloudbursts, earthquakes, hailstorms and other natural calamitites resulting in huge loss of lives and property and also taking into consideration the high cost of construction of roads, buildings and other development works due to mountainous terrain and the socio-economic backwardness of the region, this House urges upon the Government to constitute a Board to be known as the 'National Board for the Development of Himalayan States' with full financial assistance of the Union Government for –

(i) alround and speedy development of the States comprising the Himalayan region;

(ii) monitoring the implementation of existing Central Schemes and programmes in these States; and

(iii) suggesting measures to minimize the effect of natural calamities in the said region."

**श्री सतपाल महाराज (गढ़वाल) :** महोदया, मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे बोलने का सुअवसर दिया। प्राइवेट मेंबर बिल, जिसे श्री वीरेन्द्र कश्यप जी लाए, उसका मैं समर्थन करता हूं। हमारे तीन उत्तरी हिमालयन राज्य जिनमें जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड हैं, उनके द्रुत विकास के लिए एक राष्ट्रीय बोर्ड का गठन होना आवश्यक है, इसका मैं समर्थन करता हूं। जिस प्रकार से हमारे नार्थ-ईस्ट स्टेट्स हैं, उनके लिए जो डेवलपमेंट बोर्ड है, उसकी तर्ज पर इस बोर्ड का गठन हो। इस राष्ट्रीय बोर्ड में, संसद सदस्य इसके मेंबर हों। इसके जो सभापति हों, वह राज्य के मुख्यमंत्री क्रमवार हों। इसके साथ-साथ बोर्ड का जो संविधान है, वह क्या करेगा और किस प्रकार से कार्य करेगा, रिकमंडेशन करेगा, उन रिकमंडेशंस को केंद्र सरकार लागू करेगी। इस बोर्ड के लिए केंद्र सरकार पैसा देगी। मैं यह चाहूंगा कि हमारे हिमालयन राज्यों के अंदर विकास की गति धीमी हो गयी है क्योंकि वन संरक्षण अधिनयम हमारे विकास में बाधक बन गया है। इसका सरलीकरण होना चाहिए, जिससे हमारी सड़कें बन सकें, हिमालयन राज्यों के अंदर हैलीपैड बन सकें ताकि पर्यटक वहां पर पहुंच सकें। जो सुदूर के क्षेत्र हैं, जो चिकित्सा सुविधाओं से अछूते रह जाते हैं, वहां हैलीपैड की सर्विस होने से लोग चिकित्सा की सुविधा ले पाएंगे, ऐसा तब संभव हो सकेगा। ये सभी चीजें तभी संभव होंगी, जब वन संरक्षण अधिनियम का सरलीकरण होगा और हमारे यहां तेजी से सड़कें बनेंगी।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि यहां भूकंप आते रहते हैं। महाकवि कालिदास जी ने कहा था कि हिमालय पृथ्वी का मेरूदण्ड है। आज हम देखते हैं कि यहां पर जो टेक्टॉनिक प्लेट्स हैं, वे आपस में टकरा रही हैं और जो एशियन कांटीनेंटल शिफ्ट हो रहा है, उससे इस पूरे क्षेत्र के अंदर, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड क्षेत्र के अंदर समय-समय पर यहां भूकंप आते रहते है। यह बहुत संवेदनशील क्षेत्र है, सीस्मिक जोन है। अतः हमें यहां देखना होगा कि यहां का जो भावी कंस्ट्रक्शन हो, भविष्य में जो लोग यहां मकान का निर्माण करें, उसमें स्टील का उपयोग करें। व[illegible] आरसीसी कंस्ट्रक्शन होना चाहिए ताकि भूकम्प आने पर लोगों की जान-माल की रक्षा हो सके। अगर वहां रेल का विस्तार होगा, जैसे हम चाह रहे थे कि ऋषिकेश से कर्ण प्रयाग और टनकपुर से बागेश्वर तक रेलवे लाइन का विस्तार होता है तो उससे सरिया, सीमेंट, लोहा और ईंटें बड़ी सस्ती मात्रा में उपलब्ध हो सकेंगी जिससे कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बहुत कम हो जाएगी। मेरा मानना है कि अगर हम चाहते हैं कि इन क्षेत्रों का तेजी से विकास हो, तो उसके लिए रेल का विस्तार होना बहुत आवश्यक है। रेल के विस्तार के लिए उसे नेशनल प्रोजैक्ट के रूप में ट्रीट किया जाए जैसे पहले जम्मू कश्मीर में रेल लाइन नहीं थी तो रेल का विस्तार किया गया, बारामूला तक रेल लाइन बनाई गई और उसका सर्वे सैटेलाइट द्वारा किया गया। जम्मू से रेल का विस्तार किया गया और

बारामूला से भी रेल का विस्तार किया गया और दोनों क्षेत्रों को जोड़ दिया गया। हिमालयन क्षेत्रों का विकास तभी होगा जब वहां रेल का विस्तार होगा। उसके लिए अगर हम रेल के प्रोजैक्ट्स को नेशनल प्रोजैक्ट्स के रूप में लेकर काम करेंगे तो मैं समझता हूं कि उस क्षेत्र का बहुत लाभ होगा और बड़ी तेजी से विकास होगा।

मैं यह भी बताना चाहूंगा क्योंकि वहां टैक्टॉनिक प्लेट्स आपस में टकराती रहती हैं, हमारे पहाड़ों में पानी के स्रोत सूख गए हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में सारे स्रोत सूख गए हैं और वहां पेयजल की बड़ी विकट समस्या पैदा हो गई है। आज लोग अपना जो जीवन-यापन कर रहे हैं, ऐसे भी गांव हैं जहां एक व्यक्ति केवल पानी लाने में ही लगा रहता है, उसका काम अपने परिवार के लिए पानी लाने का होता है। ऐसी स्थिति बनती जा रही है कि यदि वहां की पेयजल की समस्या को सुधारा नहीं जाएगा तो लोगों को गांवों से पलायन करना पड़ेगा, गांव छोड़ने पड़ेंगे। ऐसी स्थिति के निपटारे के लिए हमें वृहद योजना बनानी पड़ेगी ताकि हम सुदूर गांवों में लोगों को पानी उपलब्ध करवा सकें। वैसे गंगोत्री है और वहां से सारी नदियां निकल रही हैं, लेकिन आज पहाड़ों की स्थिति ऐसी बन गई है जैसे कबीर दास जी ने कहा था -- पानी में मीन प्यासी, मोहे सुन-सुन आवे हासी। जो दुनिया को पानी पिलाता है, आज स्वयं पानी के लिए तरस रहा है। यही स्थिति आज हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड की बन गई है। इसलिए वहां पर्वतीय विकास बोर्ड का गठन होना बहुत आवश्यक है। मैं बताना चाहूंगा कि आज उत्तराखंड में पानी की बड़ी विकट स्थिति बन गई है और वहां त्राहिमाम्-त्राहिमाम् मचा हुआ है।

मैं यह भी बताना चाहूंगा कि चौबट्टाखाल ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना का निर्माण होना बहुत आवश्यक है, बीरोंखाल ग्राम समूह पुनगर्ठन पम्पिंग पेयजल योजना तृतीय चरण का निर्माण होना आवश्यक है। उसमें बहुत सी पम्पिंग पेयजल योजनाएं हैं। भैरवगढ़ी ग्राम समूह पम्पिंग योजना, महादेव से बरसुण्ड देवता तक पूर्वी नयार नदी पम्पिंग पेयजल योजना, देवकुण्डई तल्ली पेयजल योजना, बवासा-गुड़ियाना-सिन्दुड़ी पेयजल योजना, बडेरो ढैय्या (नागणी) पेयजल योजना, केदारगली पेयजल योजना, को बीरोखाल ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना से जोड़ना बड़ेथ पेयजल योजना का क्रियान्वयन एवं गुराडमल्ला के लिए नई योजना तथा नानघाट पेयजल योजना आदि। इसी प्रकार चमोली जिले के अंदर गोपेश्वर नगर से अमृत गंगा पेयजल योजना, विकास खण्ड गैरसैण में बड़ागांव पेयजल योजना है। रूद्रप्रयाग जिले के अंदर पानी की बड़ी भयंकर समस्या बनी हुई है और वहां कुछ पेयजल योजनाओं का बनना बहुत आवश्यक है जो लम्बित पड़ी हुई हैं, जैसे तल्लानागपुर पेयजल योजना, तिलवाड़ा सुमाड़ी पेयजल योजना, रौठिया-जवाड़ी (पश्चिमी भरदार) पेयजल योजना, तैला पेयजल योजना, पिल्लू-जंगही पेयजल योजना, अगस्त्यमुनि पेयजल योजना, बसुकेदार-डांगी-सोगना पेयजल योजना। इसी प्रकार टिहरी

जिले के अंदर भी पानी की विकट समस्या है। लक्षमोली-हडीम की धार पम्पिंग पेयजल योजना, मलेथा-कपरोली-अकरी-बारजुला पम्पिंग पेयजल योजना, पट्टी कड़ाकोट पश्चिम भाग एवं पट्टी मकरी बाराजुला हेतु कोटेश्वर-सिल्काखाल पेयजल पम्पिंग योजना, द्वितीय चरण पट्टी चौरस एवं कड़ाकोट पूर्वी भाग मेनेठ-सजवान कांडा पेयजल पम्पिंग योजना, देवप्रयाग नगर हेतु पेयजल पम्पिंग योजना, कोटेश्वर झण्डीधार तथा कोटेश्वर-पालकोट पेयजल ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजनाएं, क्वीली-पालकोट पेयजल पम्पिंग योजना, सूरजकुण्ड-रानीताल पेयजल पम्पिंग योजना। नैनीताल के अंदर भी जो क्षेत्र पड़ता है वहां ढिकुली में क्रोबर हेंड टैंक का निर्माण एवं वितरण प्रणाली का पुनगर्ठन, भवानी खुल्म भवानीपुर , तड़ियाल मड़ियाल में 1 कि0मी0 लाइन कायन बांगाझाला पेयजल योजना। इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जब माननीय प्रधान मंत्री श्री मनमोहन सिंह जी 19 अक्टूबर, 2006 में हरिद्वार पधारे थे, तो उन्होंने उत्तराखंड प्रदेश के लिए पांच पम्पिंग योजनाओं के निर्माण की घोषणा की थी। किन्तु केन्द्र सरकार द्वारा अभी तक धन अवमुक्त नहीं हुआ है, जिसके कारण ये योजनाएं बन नहीं पाई हैं। इसमें जनपद पौड़ी गढ़वाल में डांडा नागराजा ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना, मुण्डेश्वर ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना है। जनपद टिहरी में घंटाकरण ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना और जनपद अल्मोड़ा में दोडम ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना तथा सरयू वेलम ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना है। आप देख रहे होंगे कि ये सारी पेयजल योजनाएं अधर में लटकी हुई हैं और पूरा उत्तराखंड का पहाड़ आज पानी से प्यासा है।

मैं आपसे यही निवेदन करना चाहूंगा कि यहां पर हमारे हिमालयन विकास के लिए इस विकास बोर्ड का गठन हो जिससे तेजी से विकास हो सके और लोगों को पानी उपलब्ध हो सके ताकि वे अपने जीवन में यह विश्वास रखें कि भारत की भूमि के वे भी लाल हैं और इस देश के वे भी नागरिक हैं। उनको पानी उपलब्ध हो।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

**श्री अनुराग सिंह ठाकुर (हमीरपुर):** सभापति महोदया, बहुत लम्बे अर्से से राष्ट्रीय हिमालयी राज्य विकास बोर्ड बनाने की मांग चल रही है। मेरे सहयोगी वीरेन्द्र कश्यप जी ने बड़े विस्तार से अपनी बात रखी। आखिर आज राष्ट्रीय हिमालयी राज्य विकास बोर्ड बनाने की बात क्यों की जा रही है? बहुत लम्बे समय से पहाड़ी राज्यों की मांगों की अनदेखी की जा रही है। अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें, तो पर्वतीय राज्य होने के साथ-साथ हमारी दुविधाएं भी उतनी ही ज्यादा हैं। अगर सड़क बनाने की बात की जाये, तो फॉरेस्ट एक्ट के कारण कोई भी छोटी सी सड़क बनाने के लिए हमें परमीशन लेने के लिए भी कई महीनों तक इंतजार करना पड़ता है और जब सड़क निर्माण की बात आती है, तो जितना धन मैदानी इलाके में खर्च होता है, उससे कई गुना ज्यादा धन पहाड़ी राज्य की सड़कों पर खर्च होता है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि केन्द्र सरकारों का रवैया भी हिमालय क्षेत्रों के प्रति बहुत अच्छा नहीं रहा। जितना धन सड़कों, रेलमार्गों, हवाई पट्टियों के लिए मिलना चाहिए था, उतना कभी नहीं मिला। अगर सड़कों की बात की जाये, तो हिमाचल प्रदेश में बार-बार नैशनल हाईवेज मंजूर करवाने के बावजूद भी केन्द्र सरकार से पर्याप्त धन नहीं मिला। वहीं पर आजादी के 62 वर्षों के बाद भी केवल 17 किलोमीटर की रेलवे लाइन हिमाचल प्रदेश में है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज जब रेलवे बजट प्रस्तुत किया गया, तो उसमें भी इन पर्वतीय राज्यों जैसे जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या नार्थ ईस्ट के इलाकों की हम बात करें, तो आज के रेल बजट में भी उनके हिस्से कुछ नहीं आया। इतने वर्षों से इन राज्यों की जो अनदेखी की जा रही है, तो क्या आज यह मांग बिल्कुल जायज नहीं है कि ऐसे बोर्ड का गठन किया जाये? क्या ये हमारे अधिकार नहीं हैं? क्या ये अधिकार हमें तभी मिलेंगे जब हम जम्मू कश्मीर के स्थानीय लोगों की तरह हथियार उठायेंगे। नार्थ ईस्ट में नेक्सलाइट की मूवमैट बढ़ी, टेरोरिज्म बढ़ा। अगर अपने अधिकारों को लेने के लिए हमारे नौजवानों को उस हद तक जाना पड़ेगा, तो मुझे लगता है कि आज समय आ गया है कि ऐसे बोर्ड का गठन किया जाये, जिससे पर्वतीय राज्यों को उनके अधिकार मिले। अगर मैं हिमाचल प्रदेश की बात करूं, तो वहां डेढ़ लाख करोड़ रुपये की सम्पदा केवल वनों की है। हमने पेड़ काटने पर बैन लगा रखा है, ताकि पर्यावरण को बचाया जा सके। हम पानी के माध्यम से पनबिजली परियोजनाएं बनाते हैं ताकि बाकी राज्यों को बिजली दी जा सके। लेकिन बदले में हिमाचल प्रदेश को क्या मिलता है? बजट का गिना-चुना धन मुश्किल से हिमाचल प्रदेश जैसे बाकी पर्वतीय राज्यों को मिलता है।

अभी सतपाल महाराज जी ने कहा कि उनकी कई पानी की परियोजनाएं अधर में लटकी हुई हैं। पानी की परियोजनाओं के अलावा बहुत सारी योजनाएं हैं जैसे रेलवे लाइन केवल 17 किलोमीटर है और

वह भी 62 वर्षों में है। क्या हमारा अधिकार नहीं कि हिमाचल प्रदेश के बाकी हिस्सों में भी रेलवे लाइन पहुंचे?

क्या यह हमारा अधिकार नहीं है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़िया सड़कें बनें, क्या हमारा यह अधिकार नहीं है कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वहां पर इंटरनेशनल लेवल के एयरपोर्ट बनें, अच्छी फैशिलिटीज वहां दी जाएं? वहां पर जो आधारभूत सुविधाएं हैं, जैसे हम पीने के पानी की बात करें, अगर हमें पीने के पानी के लिए लाइन किसी गांव तक ले जानी हो तो उसे खड्डे में से ले जाना पड़ता है, किसी फॉरेस्ट के बीच से ले जाना पड़ता है, तो उसके लिए भी परमीशन चाहिए। हमें हर काम के लिए, अगर फॉरेस्ट काटना है, वहां से कोई लाइन ले जानी हो तो उसके लिए परमीशन लेनी होती है। हमारी एक लाख करोड़ रूपए की वन सम्पदा हमारे किसी काम की नहीं है। आज ममता जी बार-बार पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात कह रही थीं। हिमाचल प्रदेश भी अपनी वन सम्पदा में थोड़ी सी कम करके कई हजार करोड़ रूपए कमाकर अपने आधारभूत ढांचे को सुधार सकता है, लेकिन बाकी राज्यों को, मैदानी इलाकों को जो अच्छा पर्यावरण मिलता है, जो पानी की सुविधा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान तक हिमाचल प्रदेश से जाती है, जो बिजली हमारे राज्य से देश के विभिन्न हिस्सों में जाती है, उसके बदले में हमें क्या मिलता है?

यदि हम इंडस्ट्रियल रिवोल्युशन की बात करें, बाकी प्रदेश हजारों करोड़ रूपए इंडस्ट्रीज के माध्यम से कमाते हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश को अपने विकास के लिए भी केन्द्र सरकार के समक्ष हाथ फैलाना पड़ता है। आज हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं। जब हम इंटरनेशल कांफ्रेंसेज में जाते हैं, तो हिन्दुस्तान के प्रतिनिधि वहां जाकर बात करते हैं कि अमेरिका ने आज से लगभग 10 वर्ष पूर्व कहा था कि वह अपनी कार्बन एमिशन्स को लगभग 20 प्रतिशत तक कम करेंगे, लेकिन इसके बजाय अमेरिका ने पिछले इतने वर्षों में इसको 17 प्रतिशत और बढ़ाया है। अगर हम अपने देश में देखें तो क्या बड़े राज्य कार्बन एमिशन को नहीं बढ़ा रहे हैं? क्या हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य उसको कम करने में नहीं लगे हैं? हमारी सरकार ने, मैं बधाई देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, श्री प्रेम कुमार धूमल जी को, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश के 16.5 लाख परिवारों को चार-चार सीएफएल बल्ब मुफ्त दिए हैं ताकि बिजली की खपत कम हो, कार्बन एमिशन कम हो, एनवायरनमेंट को बचाया जा सके। एक छोटा सा प्रदेश 90 करोड़ रूपए खर्च करके पर्यावरण को बचाने में लगा है, हमारे लोग वन को काटकर अपने परिवार का पेट भरने की बजाय, प्रयास करते हैं कि पर्यावरण को बचाया जाए। हिमाचल प्रदेश के साथ ही अन्य पहाड़ी राज्यों की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही है। मैं सभी की ओर से यहां पर मांग करना चाहूंगा कि हमारे हितों की अनदेखी न

की जाए वरना वह दिन दूर नहीं है जब वहां भी जम्मू-कश्मीर और नॉर्थ-ईस्ट के राज्यों जैसी बहुत बुरी स्थिति देखनी पड़े। उन राज्यों को आज हजारों करोड़ शायद इसलिए ज्यादा मिलते हैं कि वहां पर टेररिज्म है। हमारे युवाओं को लगता है कि शायद हमारे प्रदेश में विकास तभी होगा अगर वहां पर हालात उन राज्यों जैसे होंगे। अगर जम्मू-कश्मीर में रेलवे लाइन बिछाने के लिए खास तौर पर परियोजनाएं लाई गयीं, तो हिमाचल प्रदेश में पर्यटन को बढावा देने के लिए ऐसी परियोजनाएं क्यों नहीं लाई गयीं? बाकी जो राज्य हैं, उनको भी एक साथ विकास मिलना चाहिए, इसलिए जब हम ट्रांस हिमालयन डेवलपमेंट अथारिटी की बात करते हैं, मैं उन सभी ग्यारह राज्यों की ओर से, हिमाचल प्रदेश की ओर से, मेरे सहयोगी श्री वीरेन्द्र कश्यप जी द्वारा लाए गए प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस सदन में उपस्थित मेरे सभी साथीगण इस प्रस्ताव को एकमत से पारित करेंगे और हम अपने जिन अधिकारों से लम्बे समय से वंचित हैं, हमें मिले। जिन पर्वतीय राज्यों से आपको अच्छी वायु, अच्छा पर्यावरण, पानी सब कुछ मिलता है, आप भी चाहेंगे कि आने वाले समय में अपने बच्चों को, अपनी आने वाली पीढ़ियों को हम अच्छा पर्यावरण दे सकें, तो इसमें हमें सभी राज्यों का सहयोग चाहिए। केवल एक हाथ से ताली नहीं बज सकती है। मुझे पूरी आशा है कि आप सभी का इसमें सहयोग मिलेगा, पूरे सदन का सहयोग मिलेगा और आने वाले वर्षों में हिमाचल प्रदेश और बाकी राज्य अपनी ओर से पूरा सहयोग सभी क्षेत्रों में देते रहेंगे।

आपने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

**श्री विजय बहुगुणा (टिहरी गढ़वाल):** माननीय सभापति महोदया, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे श्री कश्यप जी द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव पर अपने विचार रखने का अवसर प्रदान किया। राष्ट्र हित में कई ऐसे अवसर आते हैं, जब इस सदन में माननीय सदस्य दलगत राजनीति से ऊपर उठकर एक आम राय बनाते हैं और हमने देखा है कि उस राय का केन्द्र सरकार ने भी सम्मान किया है। हमारी सम्मानित राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में और प्रधान मंत्री डा. मनमोहन सिंह जी ने धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब देते हुए विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया था कि नई सरकार का लक्ष्य और दृढ़ संकल्प है कि हम भारत के समस्त क्षेत्रों का समान रूप से विकास करेंगे, ताकि कहीं कोई असमानता न बढ़े। आज सदन में राष्ट्रीय हिमालयी विकास बोर्ड बनाने का जो प्रस्ताव पेश किया गया है, उसकी बहुत आवश्यकता है। हम इस बात को गर्व से कहते हैं कि डा. मनमोहन सिंह जी की सरकार ने राज्यों को काफी धन आबंटित किया और कई विशेष योजनाएं भी लागू कीं। इतना धन और इतनी योजनाएं पूर्व की सरकारों ने कभी आबंटित और लागू नहीं कीं। हिमालयी राज्यों की परिस्थितियां भिन्न हैं और वहां की योजनाएं भी भिन्न हैं। जैसे पेयजल को ही ले लीजिए या प्राकृतिक आपदा को ले लीजिए। अगर मैदानी इलाके में बाढ़ आती है तो बाद में वहां की जमीन उपजाऊ हो जाती है, पानी रिसीट कर जाता है, लेकिन पहाड़ों में ऐसा नहीं है। पहाड़ों में अगर बाढ़ आती है तो जमीन कट जाती है। इसके अलावा जो मुआवजा दिया जाता है वह बहुत ही नोशनल होता है, नाममात्र का होता है। इसी तरह पेयजल को मामला है। सारी नदियां हिमालय से निकल रही हैं, लेकिन वहां के गांव के गांव पानी के अभाव से ग्रसित हैं। वहां लोगों तक पानी पहुंचाने के लिए पम्पिंग योजनाएं चाहिए, लेकिन राज्य सरकारों के पास इतना धन नहीं है कि वह लिफ्ट करके पेयजल की समस्या का समाधान कर सकें।

14वीं लोक सभा में वर्ष 2008-2009 के आम बजट पर हो रही चर्चा के समय मैंने प्रधान मंत्री जी से अनुरोध किया था कि हिमालय विकास प्राधिकरण का गठन करें। आज हमारे कई सदस्यों ने उस क्षेत्र की विशेष परिस्थितियों की सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक स्थिति पर चर्चा की है, ये सब बातें उस समय भी उटाई गई थीं। हमारे कई साथी आज भी यहां सदन में बैठे हैं, जो उस समय प्रधान मंत्री जी से मिले और यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी जी से भी मिले थे। मुझे पूरी आशा है और उम्मीद है कि गम्भीरता से सरकार इस विषय पर निर्णय लेगी।

जो हमारे हिमालयी राज्य हैं, इनकी सीमाएं अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से मिली हैं। पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और चीन आदि से हमारे इन राज्यों की सीमाएं जुड़ी हुई हैं। अगर आप अध्ययन करेंगे तो देखेंगे कि जहां भी असंतोष या आक्रोष होता है, वहां आतंकवाद के बीज पनपते हैं। हमारा हिमालयी क्षेत्र एक

बॉर्डर क्षेत्र है, अगर वहां पर आर्थिक पिछड़ापन बढ़ेगा तो लोगों में उदासीनता होगी। इसका फायदा हमारे पड़ौसी राज्य उठा सकते हैं, क्योंकि वे हमारे देश की एकता और अखण्डता को चुनौती देना चाहते हैं, उन्हें इस बात का बल मिलेगा।

केन्द्र सरकार ने बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट डवलपमेंट फंड बनाया है। जो अभी डेटा आया है, उसके अनुसार जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट डवलपमेंट का पैसा इन राज्यों को जा रहा है वह आधा भी खर्च नहीं हो रहा है । राज्यों को भी देखना है कि केन्द्र द्वारा दिए धन का उपयोग सीमांत जनपदों के विकास के लिए दिया गया वह क्यों नहीं खर्च हो पा रहा है। मैं उत्तराखंड का उदाहरण देना चाहता हूं। वहां 12 करोड़ रुपए उत्तराखंड को आबंटित किए गए थे, लेकिन उसमें से सिर्फ 40 लाख रुपए खर्च किए गए। इसलिए इसकी समीक्षा राज्य सरकारों के साथ करनी चाहिए । हिमालय क्षेत्र के विकास के लिए केन्द्र सरकार पीसमील एफर्ट्स कर रही है।

नार्थ-ईस्ट के विकास के लिए अलग से एक विभाग बनाया गया है। हम सब चाहते हैं कि नार्थ-ईस्ट का विकास हो। कश्मीर के लिए अलग से योजना है। अगर पूरे हिमालय राज्यों की पालिसी मेकिंग में कोआर्डिनेशन आना जरूरी है । पेयजल, पर्यटन के क्षेत्र में काफी विकास हो सकता है। आज हमारे देश की जीडीपी में आवश्यक है कि विदेशी मुद्रा आए। विदेशी मुद्रा लाने का एक बड़ा स्रोत पर्यटन बन सकता है। पर्यटन की पोटेंशियलिटी जितनी हिमालयी क्षेत्र में है, उतनी शायद दुनिया में और कहीं नहीं है। हमारे यहां कई झीलें हैं, कई भोगियाल हैं, लेकिन इनके विकास के लिए राज्य सरकारों के पास पैसा नहीं है। इसलिए पर्यटन की वहां जो अपार सम्भावना है, वह हम टैप नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हिमालयी विकास प्राधिकरण बोर्ड जरूर बनना चाहिए, जिसकी अध्यक्षता प्रधान मंत्री जी करें, क्योंकि कई राज्य इसमें आएंगे। योजना आयोग ने भी कई वर्ष पहले इस तरह का एक प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा था कि हिमालयी विकास प्राधिकरण का गठन करें। आने वाले समय में अगर यह प्राधिकरण बनता है तो निश्चित रूप से गांधी जी का जो सपना था कि घर-घर स्वराज पहुंचे, आजादी का, स्वतंत्रता का लाभ विकास के रूप में हर क्षेत्र में पहुंचे वह पर्वतीय राज्य में पहुंचेगा।

सम्माननीय सभापति जी, आज पर्वतीय राज्यों की औसत आय देश की औसत आय से बहुत कम है। इसे हमें होर्टिकल्चर, टूरिज्म, हाइड्रो-एनर्जी के जरिये से बढ़ाना चाहिए और इन क्षेत्रों में अपार संभावनाएं हैं। हमारी केन्द्र की सरकार ने विशेषकर उत्तराखंड और हिमालय-रीज़न के विकास के लिए विशेष इंडस्ट्रियल पैकेज दिया है और विशेष इंडस्ट्रियल पैकेज आने की वजह से आज उत्तराखंड में 30 हजार करोड़ रुपये का पूंजी निवेश हुआ है। केन्द्र सरकार इस ओर ध्यान दे रही है और हिमाचल को भी विशेष औद्योगिक पैकेज मिला, लेकिन उस पैकेज की सीमा वर्ष 2010 में समाप्त होने वाली है। राज्य सरकारों ने

माननीय प्रधान मंत्री जी से आग्रह और अनुरोध किया है कि यह जो विशेष औद्योगिक पैकेज है इसकी सीमा वर्ष 2013 तक बढ़ाई जाए, जैसा कि पहले से तय था। केन्द्र सरकार एक-दो राज्यों का ध्यान दे रही है लेकिन समान रूप से सारे राज्यों का ध्यान हो ताकि असमानता न रहे। सब मिलकर जब निर्णय लेंगे तभी विकास होगा। हिमालय का जो महत्व है वह पर्यावरण की वजह से भी है और हमारा सारा विकास वहां से जुड़ा हुआ है, सारी नदियां वहां से आ रही हैं।

फ्लड कंट्रोल के बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूं। आपने माइनिंग पर फॉरेस्ट कंजरवेशन एक्ट के तहत रिस्ट्रक्शन लगाई हुई है। पर्वतीय क्षेत्रों से जब बड़े-बड़े पत्थर टूटकर आते हैं तो उससे रिवर का बैड बढ़ रहा है। जब रिवर का बैड बढ़ रहा है तो उसका पानी फ्लड के रूप में आस-पास के गांव और मैदानी क्षेत्रों को नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए आपको सिलेक्टिव माइनिंग को नदियों में एलाऊ करना पड़ेगा। कई ऐसे नियम हैं जिन्हें पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लिए आपको बदलना पड़ेगा। मैदानी और पर्वतीय क्षेत्र की प्लानिंग बिल्कुल भिन्न है।

हमारी जो कनैक्टिविटी है, वह बहुत खराब है। चाहे एयर-फील्ड्स हों, रोड्स हों, इन सब के लिए धन चाहिए और राज्य सरकारों के पास इतना धन उपलब्ध नहीं है। अगर आप प्राइवेट-पब्लिक पार्टनरशिप में रास्ते खोलेंगे तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ सकते हैं और विकास का रास्ता साफ हो सकता है। इस क्षेत्र का को-आर्डिनेटिव डैवलेपमेंट इसी बोर्ड के जरिये संभव हो पाएगा। मुझे आशा है कि इस सदन में जो चर्चा हो रही है सरकार इसे गंभीरता से लेगी और इस राष्ट्रीय हिमालयी राज्य विकास बोर्ड का अवश्य गठन करेगी।

हमारे पर्वतीय क्षेत्रों से जो राष्ट्रीय-स्तर के नेता हुए हैं इनकी चर्चा माननीय कश्यप जी ने भी की है। हमारे माननीय नारायण दत्त तिवारी जी बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं। वे भारत सरकार के प्लानिंग और वित्त विभाग में मंत्री रहे हुए हैं, उनका भी ऐसा मत है। हिमाचल के पूर्व मुख्य मंत्री माननीय परमार जी, उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री बहुगुणा जी, असम के मुख्य मंत्री सबका ऐसा ही मत बना है, इसलिए इस पर कोई विवाद भी नहीं होगा। सब मिलकर इस बोर्ड का गठन करें और विशेष योजनाएं दें। डा. मनमोहन सिंह जी तथा माननीया सोनिया जी का जो एक सपना है कि भारत का हर क्षेत्र में विकास हो, वह सपना पूरा होगा। मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

**डॉ. राजन सुशान्त (कांगड़ा):** आदरणीय सभापति महोदया, मैं इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। आप जानते हैं कि चुनाव का पर्व समाप्त हो चुका है और अब विकास का पर्व शुरू हो रहा है। ऐसे समय में आदरणीय श्री वीरेन्द्र कश्यप जी जो प्रस्ताव लाए हैं निश्चित तौर पर यह पूरे राष्ट्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव है। आज इस प्रस्ताव के द्वारा हम राष्ट्र की सुरक्षा का मुद्दा आपके ध्यान में लाना चाहते हैं। साथ ही साथ पहाड़ी राज्यों के साथ जो निरंतर अन्याय हो रहे हैं और अंदर ही अंदर एक आग सी सुलग रही है। जैसे हमारे भाई अनुराग ठाकुर जी ने कहा कि यह वक्त सभी के संभलने का है। कहीं ऐसा न हो कि अंदर ही अंदर जो एक ज्वाला धधक रही है, कल एक बड़े विस्फोट का रूप धारण न कर ले।

महोदया, इंसान के जीवनयापन के लिए सबसे जरूरी प्राण वायु है, उसके बाद जल जरूरी है और उसके बाद भोजन जरूरी है। जीवन में जब व्यक्ति बीमार होता है, तो उसके लिए औषधि भी जरूरी है। मैं समझता हूं कि हिमालय सारी सृष्टि को ये सभी चीजें देता है। हिमालय न हो, तो शुद्ध प्राण वायु प्राप्त नहीं हो सकती है। शुद्ध प्राण वायु का आधार ही हिमालय के जंगल हैं, हिमालय के पहाड़ हैं। अगर हिमालय नहीं होगा, तो वहां बर्फ नहीं होगी, बर्फ नहीं होगी, तो वहां जल भी नहीं होगा। हम जानते हैं कि भोजन प्राप्त करने के लिए सिंचाई की बहुत आवश्यकता है। जैसा हमारे अन्य साथियों ने कहा कि जल का उदगम स्थल ही हिमालय है चाहे गंगा हो, चाहे यमुना हो, चाहे सतलुज हो या अन्य बड़ी-बड़ी नदियां हों, सारी हिमालय से पैदा हो रही हैं। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जो हिमालय सारे राष्ट्र को, सारे विश्व को बहुत कुछ दे रहा है, उस हिमालय की अनदेखी कई वर्षों से निरंतर हो रही है।

सतलुज नदी के पानी के लिए पंजाब और हरियाणा राज्य में लड़ाई होती है, दूसरे राज्यों में भी नदियों के जल के लिए लड़ाई होती है। मैं सोचता हूं कि जो हिमालय इन सारी नदियों का असली मालिक है, वह शांत हो कर सारी स्थिति को देख रहा है, लेकिन वह कब तक देखेगा? हमारे भाई अनुराग ठाकुर, वीरेन्द्र कश्यप, सतपाल महाराज और बहुगुणा जी ने निश्चित तौर पर कहा है कि हम हिमालय के लोग, हम पहाड़ के लोग आबादी की दृष्टि से पूरे राष्ट्र का लगभग पांच प्रतिशत हैं। हम 11 राज्य हैं। आबादी के आंकड़ों के गणित के अनुसार हमारा दबाव किसी भी केंद्र की सरकार पर इतना न बनता हो, लेकिन मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहूंगा कि जहां हिमालय आज पूरी दुनिया को बहुत कुछ दे रहा है, वहीं मैं गौरव के साथ कह सकता हूं कि हिमालय शूर वीरों को भी पैदा करता है। पिछले युद्ध के दौरान हिमाचल प्रदेश को सेना के अंदर चार परमवीर चक्र में से दो परमवीर चक्र प्राप्त हुए थे। मैं यह बात इसलिए कहना चाहता हूं कि अगर हम शांति से अपने साथ हो रहे अन्याय को वर्षों से झेल रहे हैं, तो कदापि यह न समझा जाए कि

हमारी सहनशीलता हमारी कमजोरी है। कदापि यह न समझा जाए कि हम बोलते नहीं हैं, तो हमारे अंदर अंगार नहीं है। हम कुछ बोल नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि हमारे अंदर कोई भावना नहीं है। हम कुछ बोल नहीं रहे हैं, तो हमारे अंदर समझाने की ताकत नहीं है। अगर हिमाचल जैसा छोटा सा राज्य दो परमवीर चक्र विजेताओं को पैदा कर सकता है, तो कल को ऐसी स्थितियां पैदा न हो जाएं, जिस कारण वहां के नौजवान को इससे आगे बढ़ कर सोचना पड़ जाए। आज हम डेढ़ लाख करोड़ रुपयों की वन सम्पदा के मालिक होते हुए भी बहुत कठिन परिस्थिति में महसूस करते हैं, जब विकास के लिए हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी योजनाओं के लिए बोलते हैं और उनकी तरफ पूरा ध्यान नहीं दिया जाता है।

सभापति महोदया, आप बहुत विदुषी हैं, आपने देखा है कि जब-जब भी अन्याय और अत्याचार की सीमा लांघ जाती है, तो उसके बाद कुछ न कुछ जरूर होता है। मैं हिमाचल प्रदेश का उदाहरण इसलिए दे रहा हूं, क्योंकि मैं हिमाचल प्रदेश से आता हूं और वहां की परिस्थितियों से वाकिफ हूं। वर्ष 1982 में सीधे यूनिवर्सिटी से पढ़ने के बाद केवल 26 साल की उम्र में वहां की जनता ने सबसे छोटी उम्र का एमएलए बनने का गौरव प्रदान किया था। कई वर्षों से मैं निरंतर हिमाचल की राजनीति का हिस्सा रहा हूं, लेकिन आज यह भावना हमारे अंदर पनपती जा रही है कि क्या हमने ही सारे राष्ट्र को, सारी दुनिया को अच्छा पर्यावरण, शुद्ध वायु, शुद्ध जल देने की जिम्मेदारी उठा रखी है। क्या इसके बदले दूसरे राज्यों की, केंद्र की सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? आज हम डेढ़ लाख करोड़ रुपए की अगर चाहें तो वन सम्पदा को काट सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं लेकिन हम यह नहीं करना चाहते। इसके बदले में हमें क्या मिलता है? पिछली सरकार में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री ने इस पहाड़ी राज्य को आगे बढ़ाने के लिए इंडस्ट्रियल पैकेज दिया था जो वर्ष 2013 तक चलना था। लेकिन हमें बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि राजनीति की आग की भेंट हो गई। आज बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि वर्तमान केंद्र सरकार ने हमें बदले में कुछ देना तो क्या था बल्कि डस्ट्रियल पैकेज को वर्ष 2007 तक कर दिया था। इसके छः साल कम कर दिए गए, महज इसलिए कि वहां अन्य दल की सरकार है, महज इसलिए कि छोटा राज्य है। मैं मुख्यमंत्री श्री धूमल जी को बधाई देना चाहूंगा कि वे भारत सरकार के पास आए, उन्होंने सारा मामला रखा और उनके अथक प्रयासों से इंडस्ट्रियल पैकेज की सीमा वर्ष 2010 हुई। लेकिन वर्ष 2013 तक क्यों नहीं किया गया? हमारा कुसूर क्या है? हमारा कुसूर यह है कि हमारी आबादी छोटी है, एमपीज़ संख्या में कम हैं। मैं कहना चाहता हूं कि पहाड़ी राज्यों के विकास की दृष्टि से आगे ले जाने लिए निश्चित तौर पर अलग मापदंड बनाने ही पड़ेंगे। इन्हें जितनी जल्दी बना लिया जाएगा वह देश की सुरक्षा को लिए अच्छा होगा।

सभापति महोदय, भारत के नक्शे पर नजर दौड़ाएं तो भारत के मुकुट के रूप में हिमालय खड़ा है। आज राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो चीन से हमारे पहाड़ी राज्य राष्ट्रीय सुरक्षा कर रहे हैं। हमें नहीं भूलना चाहिए कि अभी हमारी आजादी बहुत लंबी नहीं हो गई है, बहुत मेच्योर नहीं हो गई है, अभी हम बचपन में जी रहे हैं। चाहे वर्ष 1948 का युद्ध हो, कबाइली युद्ध हो या वर्ष1962 का युद्ध हो, उस समय हिमालय को ही जख्मी होना पड़ा था। मैं समझता हूं और जहां तक मेरा व्यक्तिगत मत है, आज भी अगर भारत को खतरा होगा या कोई ललकार आएगी तो वह चीन की ओर से आएगी, केवल हिमालय का राज्य ही चट्टान बनकर खड़ा होगा और चीन से खतरे का लोहा लेगा। लेकिन अब हिमालय के राज्य में यह भावना पनप रही है कि हमारी आबादी कम है, संसद में सदस्यों की संख्या कम है इसलिए हमसे भेदभाव होता है। आप भेदभाव करते जाइए, नतीजा आपके सामने आ जाएगा। जैसा अनुराग ठाकुर जी ने कहा कि क्या हम यह भावना नहीं जगा रहे हैं, जैसा कि हमने पढ़ा और सुना कि हिमाचल प्रदेश को इसलिए रेलवे लाईन नहीं दी जाएगी क्योंकि हमारी संख्या कम है। क्या इस तरह से भेदभाव किया जाएगा? हम कई सालों से देख रहे हैं कि जिस भी राज्य से कोई केंद्रीय मंत्री आता है केवल अपने राज्य की ओर ही दृष्टि दौड़ाता है, केवल अपने राज्य को ही पैकेज देता है। यह भावना बलवती हो रही है। हिमालय के लोगों में और विशेष तौर पर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में इसी को लेकर गलत भावना पैदा हो रही है। मैं बहुत आदर के साथ कहना चाहता हूं कि आप इसे गंभीरता से लीजिए। आखिर केंद्र सरकार चाहती क्या है? यह इसलिए हो रहा है क्योंकि हिमाचल चुपचाप बैठा है, हिमालय शांति से बैठा है। आप क्या समझते हैं कि हम नहीं समझ रहे हैं कि जम्मू-कश्मीर को इसलिए विशेष पैकेज दिया जाता है कि वहां चंद लोग कश्मीर घाटी में खड़े हो जाते हैं, सनसनी फैलाते हैं, आतंक फैलाते हैं। क्या यह सरकार आतंक की भाषा ही समझती है? हम राष्ट्रवादी लोग हैं, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमें मजबूर न किया जाए क्योंकि इस तरह आतंकवादियों की शह से दिन प्रतिदिन यह भावना बनती जा रही है कि वही राज्य विशेष पैकेज लेकर जाता है जो राज्य सारे राष्ट्र को संकट में डालता है।

सभापति महोदय, अगर कारगिल युद्ध के दौरान हिमालच प्रदेश वीर जवान पैदा कर सकता है, दो परमवीर चक्र विजेता पैदा कर सकता है और कल को जरूरत पड़ती है तो वह कुछ भी कर सकता है इसलिए हमारी मौन भाषा को गंभीरता से लिया जाए। आज हिंदुस्तान को बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे लेकर जाना है तो मैं कहना चाहता हूं कि बायोटेक्नोलॉजी भी हिमालय के कारण है क्योंकि जड़ी-बूटियां हिमालय के अंदर हैं। जब लोगों को गरमी से तकलीफ होती है तब सारा देश हिमालय की पहाड़ों की तरफ दौड़ता है और जब आध्यात्मिक शांति की जरूरत होगी तब भी हिमालय की ओर ही दौड़ना पड़ेगा। हिमालय ऋषि-मुनियों की पावन स्थली है। मैं समझता हूं कि हिमालय को बचाना और विकास की दृष्टि से आगे

बढ़ाना बहुत जरूरी है। प्रस्ताव जो माननीय सदस्य, श्री वीरेन्द्र कश्यप जी लाये हैं, यह बहुत समय के अनुसार आया है। इसका समर्थन माननीय सदस्य, श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी और अन्य साथियों ने किया है। मैं समझता हूं कि यह बिल्कुल समयोचित प्रस्ताव आया है और मैं भारत के आदरणीय प्रधान मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहूंगा कि निश्चित तौर पर इन पहाड़ी राज्यों के लिए जल्दी से जल्दी इस बोर्ड का गठन कर लिया जाए। माननीय श्री बहुगुणा जी ने ठीक कहा कि इसकी अध्यक्षता माननीय प्रधान मंत्री जी ही करें। हिमाचल प्रदेश की ओर से हमारा यह भी सुझाव रहेगा कि हिमालय के जो 11 राज्य हैं और जो उनके चुने हुए एम.पीज. हैं, उन सबको उस बोर्ड में मैम्बर बनाया जाए, ताकि उनकी सारी भावनाओं को समझा जाए। मैं इस प्रस्ताव के जरिये हिमाचल प्रदेश के लिए विशेष आर्थिक प्रस्ताव की मांग करता हूं।

सभापति महोदया, अंत में मैं कहना चाहता हूं चूंकि आप कविताएं और शेर-ओ-शायरी भी करती हैं, इसलिए चंद लाइने मैं इस प्रस्ताव में जोड़ना चाहता हूं। हिमालय को समझने की दृष्टि से देखें कि हिमालय शान्त है, पर उसे कमजोर मत समझियेगा। हिमालय चुप है, लेकिन इसे भीरू मत समझियेगा, डरपोक मत समझियेगा। हिमालय विशाल है, हिमालय के पास ताकत है, हिमालय के पास खजाना है, हिमालय तब प्रकट होता है, जब प्रलय हो जाती है, तब भी हिमालय के अंदर ही सृष्टि के द्वारा रचना होती है। इसलिए हिमालय की गंभीरता को समझते हुए मैं चंद लाइने कहना चाहूंगा। आजकल जो लहरें राजनीति में चल रही हैं, मैं उनकी ओर इशारा कर रहा हूं -

"लहरों के रूप पर कभी कलंदर नहीं गिरता,
टूट भी जाए तारा तो जमीं पर नहीं गिरता,
यूं तो गिरते हैं बड़े शौक से दरिया समन्दर में,
पर कभी कोई समन्दर दरिया में नहीं गिरता।"

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देते हुए अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

SHRI ADHIR CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Madam, I must appreciate hon. Shri Virender Kashyap for taking an effort to pilot the Resolution concerning the Constitution of National Board for the Development of Himalayan States. In this Resolution, attention has been focused on (i) all-round and speedy development of the States comprising the Himalayan region; (ii) monitoring the implementation of existing Central Schemes and programmes in these States; and (iii) suggesting measures to minimize the effect of natural calamities in the said region.

As you know, the Himalayas is an identity of our civilization. It has divided Indian sub-continent from Central Asia. The Himalayas is always inspired awe, beauty and grandeur of the nature. Once upon a time, Swami Vivekananda had referred to Himalayas as follows: "It is not a mere wall constructed by nature; it is ensouled by our divinity; and it is the protector of our country and our civilization." Naturally, the Himalaya is an identity of our culture and our civilization.

Today, noted hon. Members have already participated in this discussion. They have already made a good deal of important suggestions for the development of the Himalayan region. As you know, in our country, eleven States have been recognized as Special Category States. These eleven States, consist Uttarakhand, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir including seven States of North-Eastern region and Sikkim. Special category status has been given to those eleven States with an objective of paying special attention for the development of the Himalayan region.

So, we cannot say that this Government or any other Government of India has never paid heed to the problems of the Himalayan region. However, we must say that we have not been able to achieve the desired results insofar as the Himalayan region is concerned. But it is a fact that it has been the constant and continued endeavour of the respective Governments to put special emphasis on the

Himalayan region in view of its sylvan asset, in view of its mineral assets and in view of its herbal assets apart from tourism potentialities.

Further more, all the important rivers of our country originate from this particular region. So, we all believe, whether we do belong to Himalayan region or not, that Himalayas is a region of great importance. Sutlej, Ganga, Yamuna, Satadhruv, Indus, all these rivers originate from that special region. Nowadays, not only people from all over the country but people from all over the world feel concerned over the retreating glaciers of the Himalayan region due to climate change and due to global warming.

Forty per cent of the world population is being provided water by the Himalayan glaciers. It is alarming to note that every decade the Himalayan region has been heating up to the tune of 0.3 degrees Celsius which may prove calamitous, which may cause great devastation to the human population of the entire Indian subcontinent.

Madam, the Himalayan region consists of the Tibetan Plateau, the Kingdom of Bhutan, Nepal, and in the Indian area of Western Himalayas and North-Eastern Region also. The Union Government every year has been providing a handsome fund for the development of the Himalayan region. As far as my knowledge goes, 90 per cent of these funds are being provided to the Special Category States of the Himalayan region as grant and ten per cent as loan. So, we ought to see whether the concerned Himalayan region State Governments are spending the Central funds in an optimal way or not. I think that it is also a matter of concern that the States are not utilising properly the funds being given by the Union Government.

Madam, the mighty Himalayas extend from the West to the East in a massive area for about 2,500 kilometres forming a distinct geographical divide, an area of about 12,000 square kilometres. It is an area where there is a huge potential of hydropower resources. The exploitable hydropower resources are estimated to be to the tune of 9,500 MW.

It can create a vast network of power generation. Not only that, in the wake of power generation, we can also provide employment to the vast multitude of unemployed youth of that region who were still living in uncertainty. Yes, we have a great number of proud fighters; we always salute brave people and brave soldier, who come from that region - not only Uttarakhand or Himachal Pradesh but also the entire North-Eastern Region including Darjeeling. There is no dearth of proud soldiers, brave soldiers of our country, who used to lay down their lives at the frontier region to defend the nation. We are all proud of them. I personally salute all those people.

It has been found that the Himalayan State consists of high percentage of rural population, that is 79 per cent, and it is growing at an annual rate of 2.4 per cent. High percentage of population below the poverty line is 31 per cent in the North-Eastern sector whereas the position in the Northern States like Uttarakhand, Himachal Pradesh, and Jammu and Kashmir is better. The high literacy rate is 69 per cent. The total unemployed force which is 15.08 lakh, is growing at the annual rate of two percent. There is a very low *per capita* consumption of power – 100 kw - in the North-Eastern sector and in the Northern sector as compared to national average. Low per capita income is Rs.23,000. Majority of the labour force in the region is engaged in primary sector, especially agriculture, horticulture and animal husbandry.

The area of major concern is that in that particular region, the land-man ratio is becoming hostile. In the course of the growth of population, land is not expanding. Therefore, land-man ratio has been deteriorating. In the entire region, two types of land use has been in vogue. One is reserve forest area, and the other, community forest area. So, we need to have a strategy to use the potentialities of the land in such a way so that the local population could derive livelihood and on the other hand pristine nature of the forest could be conserved. So, this type of strategy could be adopted and to generate the employment, I think, small scale and

small level hydropower scheme could be initiated there which might create a vast opportunity for employment and livelihood.

Further, I would propose to the Government to consider the Silviculture of that region. Silviculture was introduced in Switzerland and other European countries. Land and the Silvian asset of the region could be used for the growth of the economy and to protect and conserve the forest also. Madam, I would like to just refer that most of the population of that particular area depend upon agriculture. However, this area has been able to attract substantial investment in the industrial sector, aggregating Rs.2,44,910 million. You are well aware that the Union Government extend tax holiday and other sops to attract investment in that region. However, it is found that the hill States of Uttarakhand, Himachal Pradesh and Jammu & Kashmir could create 0.2 million new jobs between January 7, 2003 and June 30, 2006.

**17.00 hrs.**

(Shri Arjun Charan Sethi *in the Chair*)

This has meant a very high investment of Rs.1.22 million for creating a single job opportunity in the conventional industrial sector. Going by this figure, it is reported that the investment required for providing employment to the unemployed force of 15,08,000 would be a whopping sum, and the issue of generation of new employment opportunities by the conventional approach would continue to defy solution.

Therefore, various innovations need to be explored. Only a constitution of a Board would not be a remedy for all ills, would not be a panacea for all economic ills or all underdevelopment of that particular region. However, I think, a Board could be constituted; a Board could be constituted to look after development, to look after the growth, to look after employment opportunities, to look after other exploitable potentials of that area. But this is not the remedy for all economic ills and all underdevelopment or unemployment in that area.

Already in the State of West Bengal, the Himalayan area is known after Darjeeling; it is in ferment now. The reason is that the State Government has not been able to create employment opportunities, other industrial facilities, etc. Since the British period, the particular hill station, Darjeeling, has been regarded by the Europeans as a sanatorium, as a holiday resort. But that particular area where the natural resources are in galore, it is rich in mineral, we can excavate or mine coal in that Darjeeling region, which is famous for orange, for cinchona or for tea, let alone tourism but the State Government has not been able to create more opportunities for local population. That is why, the people of Darjeeling are being misled by saying that only the creation of a State of Gorkhaland would solve the problem. What we need is economic growth; what we need is more employment opportunities; what we need is a comprehensive and a holistic approach in the entire Himalayan region so that our mineral-rich and cultural-rich region could be developed.

Sir, you are well aware that for the development of the entire North-Eastern Region, a separate Ministry was formed. Generous budgetary allocation had been given. But still, the concerned State Governments had not been able to implement and utilize the sum provided by the Government and so, the Government was forced to create a non-lapsable fund so that in future, this non-lapsable fund could be used for the development of that particular area, that is, the North-Eastern Region.

I am concluding, Sir, but the fact is that we all respect Himalayas and all of us want to protect Himalayas, its civilization, its population and other resources.

Over the ages, the Himalayas is being adored by the people of our country. I may again say that it is an identity of our culture and civilisation and that is why we all should exhaust all our resources to protect not only this region but also protect its people. Hence, the National Board could be created. I support the constitution of National Board for the Development of Himalayan Region.

SHRI RAMEN DEKA (MANGALDOI): Respected Sir, I support this Resolution. You are fully aware of the Assam and the Northeast regions in the foothills of Himalaya, especially a large part of Assam in the foothills of Bhutan. The geographical area of Assam covers mountains and rivers. We are facing flash flood problem from hill tracks. Our two districts have been inundated by the flash floods from hill tracks. In the other parts of the country the source of water has dried up but we are surrounded by water. Due to wrong water management, we do not have drinking water. In this context, I would like to quote a phrase: "Water water everywhere water but not a single drop of water to drink". In Assam, we do not have proper water resource management and hence people there face regular flood problems. After Independence we have always requested that this problem should be included in the list of national calamitis. It is a serious problem and it needs a serious attention to solve this problem.

Sir, due to mountainous terrain, road and rail communications are still not developed in comparison to other States. Any region surrounded by the international border faces problem. We still remember the trouble faced by the Indian Army during the Chinese aggression in 1962. The then Prime Minister Pandit Nehru lost hopes of our States to kept it part of the country. Since there was no road communication, Indian Army could not move forward. The development of road, rail and other communication system requires coordination between different Himalayan States.

In view of this, I support this Resolution. National Board for the Development of Himalayan States should be formed from better coordination, development and Defence point of view.

**श्री के.सी.सिंह 'बाबा' (नैनीताल-उधमसिंह नगर):** सभापति महोदय, हमारी भौगोलिक स्थिति को देखकर गैर सरकारी सदस्यों के संकल्प में श्री वीरेन्द्र कश्यप जी ने जो रेज़ोल्यूशन प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं और उन्हें इसे प्रस्तुत करने के लिए आभार प्रकट करता हूं। हिमालयन राज्यों के लिए नेशनल बोर्ड फोर डेवलपमेंट आफ हिमालयन स्टेट्स अथवा ट्रांस हिमालयन (फोरम) Forum बने। हम लोग काफी पहले से इसकी मांग करते आ रहे हैं।

महोदय, हमारी भौगोलिक स्थिति इस तरह की है कि उसमें पर्वतीय एरिया आता है, भांवर और तराई का एरिया आता है। वहां जो दैवीय आपदाएं आती हैं, उनसे निपटने के लिए धन की आवश्यकता होती है। जिसकी उपलब्धता ट्रान्स हिमालयन फोरम अथवा नेशनल फोर डेवलपमेंट आफ हिमालयन स्टेट्स करवा सकता है

माननीय वीरेन्द्र कश्यप जी मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने एक ऐसा टोपिक यहां उठाया। हमारे यहां जब बादल फटता है तो वहां आप देखेंगे कि पूरा पहाड़ नीचे आ जाता है और गांव के गांव दब जाते हैं। उस समय वहां बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। हमारे यहां इस तरीके की बहुत सारी समस्याएं हैं - जैसे अर्थक्वेक, बादल का फटना और भू-स्खलन इन चीजों को देख हमारे वहां डेवलपमेंट के लिए जरूरत पड़ती है। हमारे पहाड़ों के लिए मेन इंडस्ट्री टूरिज्म है। For tourism what we need is light structures and not heavy structures. For example, resorts are coming up in the mountainous areas. We need light structures. We must learn from Himachal Pradesh. I am from Nainital Constituency of Uttarakhand. We must learn from Himachal Pradesh about how to bring up light structures for tourism like log cabins, tents and pre-fabricated structures so that it does not break. It is much safer. Our hills can take light structures and not big concrete jungles that seem to be coming up. We have got to stop it somehow or the other. That is the main thing and because of the natural calamities, we have got to be very careful in dealing with this. We have got to have development; and development, as I said previously, is tourism. For tourism, we must have ropeways. The new found maintains of the Himalayas can stand the pressure of ropeways and helipads instead of having very big road constructions in the mountains. So, we have got to be very careful about how we go about our development. Our forests are our assets and our forests are what you call our livelihood in the hills. So, we must

maintain the forests while doing development. So, there has to be a balance between development of roads as well as cutting down of trees.

हमारे वहां जब भी सड़कें बनती हैं, आप यह समझिए कि प्लेन में जो सड़कें बनती हैं, उसमें और हमारे पहाड़ों में जो सड़कें बनती हैं, उनमें बहुत अंतर है। पहाड़ में जब भी हम सड़क बनाते हैं तो उसमें रिटेनिंग वॉल देनी पड़ती है, जिससे कि पहाड़ नीचे न खिसके। जहां कोई गांव आता है, वहां जो सड़क बन कर जाती है तो फिर हमें ब्रेस्ट वाल देनी पड़ती है, जिससे कि वहां जो ऊपर के हिस्से में घर हैं, वे डैमेज न हों, उनमें क्रेक्स न आएं। हमारे पहाड़ों में जो कास्ट ऑफ डेवलपमेंट होती है, वह प्लेन के मुकाबले डेढ़ गुना से पांच गुना ज्यादा होती है।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि उसके लिए हमारे हिमालयन स्टेट्स को स्पेशल पैकेज दिया जाए। चाहे इंडस्ट्रीज़ हो या डेवलपमेंट हो, बिना स्पेशल पैकेज के पहाड़ में काम नहीं चल सकता। हमें इंडस्ट्रियल पैकेज मिला था, हमारे माननीय सांसद बहुगुणा जी ने भी कहा था कि सन् 2013 तक का पैकेज मिला था जो कि कम कर दिया गया, उसके लिए भी मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि सन् 2013 तक का इंडस्ट्रियल पैकेज हमें दिलवाया जाए। हमारे यहां की भौगोलिक स्थिति देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे यहां मैदानी क्षेत्रों के मुकाबले बहुत अंतर है, जो प्लेंस में होता है। हमारा जो फोरम बनता है, जो एडवायज़री कमेटी का काम करेगी, वह यह बताए कि हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में, स्टेट्स में क्या-क्या समस्याएं हैं, यह अतिआवश्यक है।

मैं इसका एक उदाहरण दे सकता हूं, इससे पूर्व भी मैंने आपसे कहा कि मेरी कांस्टीट्यूएंसी नैनीताल संसदीय क्षेत्र जो है, वहां पहाड़, भांवर और तराई भी है। वहां जब पहाड़ में बादल फटें या पहाड़ों में बहुत ज्यादा वर्षा हो जाती है तो हमारे पर्वतीय स्टेट की स्थिति और प्लेंस में बहुत अंतर होता है।

सभापति महोदय, वहां से जब पानी का बहाव नीचे की ओर होता है, जब वह पानी नीचे आता है, भावर और तराई में, तो इतनी स्पीड से आता है कि वहां से भूमि का कटाव होना शुरू हो जाता है। भूमि कटाव होने से बहुत सारे लोगों के घर बह जाते हैं और जान-माल का बहुत नुकसान होता है। लोग मरते भी हैं, भूमि भी कटती है, लोग भूमिहीन हो जाते हैं और गांव भी बह जाते हैं। इसमें बहुत अन्तर है। प्लेन्स में जब बाढ़ आती है, तो वहां पानी भर जाता है और उससे बेहद नुकसान होता है, यह मैं जानता हूं, लेकिन वहां जमीन सुरक्षित रहती है। जब बाढ़ का पानी चला जाता है या सूख जाता है, तो जमीन वहीं मौजूद रहती है। उस पर जमीन का मालिक किसान काम कर सकता है। उसे जोत और बो सकता है। हमारे यहां यह अन्तर है कि जब बाढ़ आती है, तो वहां पानी का बहाव इतना तेज होता है कि वहां की कृषि भूमि कट कर बह जाती है और लोग भूमिहीन हो जाते हैं। छोटा स्टेट है और वन अधिनियम लागू है। इसलिए

हम उन्हें दूसरी जगह एडजैस्ट भी नहीं कर पाते हैं। हमारे यहां दैवी आपदाओं से लोगों को बचाने के लिए धन की आवश्यकता होती है। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि जितने हमारे हिमालयन स्टेट्स हैं, उन्हें एक स्पैशल पैकेज दिया जाए, विशेषरूप से दैवी आपदाओं से लोगों को बचाने के लिए।

महोदय, दैवी-आपदा से बचाने के लिए विशेष पैकेज दिया जाए। इसके साथ-साथ मैं कहना चाहता हूं कि सिल्टेशन से जब नदी भर जाती है और बाढ़ आती है, तो पानी साइडों को काटकर निकल जाता है। इसलिए रिवर ड्रैजिंग की जाए और जे.बी.सी. मशीन द्वारा उस सिल्टेशन को हटा दिया जाए या नदियों को गहरा कर दिया जाए, तो उससे बहुत फायदा हो सकता है। यदि सरकार शुरू में पैसा लगा दे और नदी का कोर्स जिस तरह से पहले था, उस तरह से कर दे और इस प्रकार हर साल हम माइनर ड्रेजिंग करते रहें, तो हमारी सरकार का पैसा भी बच सकता है, हमारे किसानों की भूमि का कटाव भी रुक सकता है और इस प्रकार की रैगुलर रिवर ड्रेजिंग और कंट्रोल्ड खनन से सरकार का करोड़ों-अरबों रुपया बचेगा और भूमि भी बचेगी। किसानों की जब भूमि नहीं कटेगी, उनके घर नहीं बहेंगे, तो उन्हें भी फायदा होगा। इसलिए मैं सरकार से यही निवेदन करता हूं कि हमारी इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारी इस तरह की समस्याएं हैं, उन्हें देखकर हमें स्पैशल पैकेज दिया जाए। जब हमें स्पैशल पैकेज मिलेगा, तो यह समझिए कि हम अपनी स्टेट की रक्षा भी कर सकते हैं, हम अपनी स्टेट के लोगों का बचाव के साथ-साथ विकास कार्य में गति मिल सकती है । इस प्रकार से हम फॉरैस्ट और एनवायरनमेंट का बचाव भी कर सकते हैं। जब वहां भूमि नहीं कटेगी, तो हमारे फॉरैस्ट भी सुरक्षित रहेंगे और हमारी कृषि भूमि भी सुरक्षित रहेगी।

**श्री जोसेफ टोप्पो (तेजपुर) :** चेयरमैन सर, मैं आपको और विशेष रूप से वीरेन्द्र कश्यप जी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस सदन में इस प्रस्ताव को प्रस्तुत किया। यह प्रस्ताव समयोपयोगी है। मैं समझता हूं कि इस प्रस्ताव को पूरे सदन को मिलकर पारित करना बहुत जरूरी है। बादल फटने के कारण वर्षा होने से बहुत सी जगह में एकदम इतनी जोर से पानी आता है कि जो भी हमारे घर, रास्ते, खेती की जमीन थी, उसे बहाकर ले जाता है। सिर्फ आधे घंटे में सारा सब कुछ समाप्त हो जाता है। हिमालय क्षेत्र में ऐसा होता ही रहता है। हम लोगों के पहाड़ी एरिया में प्रायः ऐसा होता है। हमारे पहाड़ी इलाके में बादल फटने के कारण जो बाढ़ आती है, उसका असर प्लेन एरिया में भी बढ़ जाता है। महोदय, सी-इरोजन होने पर वहां के राज्यों की क्षतिपूर्ति की जाती है, लेकिन पहाड़ी राज्यों में रिवर इरोजन के लिए कुछ नहीं मिलता है। इसलिए मेरी मांग है कि रिवर-इरोजन होने पर राज्य की क्षतिपूर्ति हेतु धन मिलना चाहिए। हर नदी की उत्पत्ति पहाड़ों और जंगलों से होती है। जंगल देश के सभी लोगों को वायु और पेयजल उपलब्ध कराते हैं। अगर इनको ठीक प्रकार से नियंत्रित नहीं किया जाए और वहां से पहाड़ या पेड़ कट जाए, तो इरोजन से जो डैबरीज होती हैं, वे प्लेन एरिया में पानी के बहाव के साथ आ जाती हैं। [illegible]ां का जैसा उदाहरण दिया, मैं कहना चाहता हूं कि हमारी ब्रह्मपुत्र में इतनी डिबरी हो गई, रीवर बैड इतना ऊंचा आ गया है, जिसमें वहां अब बड़े-बड़े जहाज नहीं जा सकते हैं। विदेशियों के टाइम में इन्हीं जहाजों से ब्रिटिश लोग वहां चाय बागान लगाने और चाय की खेती करने के लिए आये थे। अब हमारी ब्रह्मपुत्र रीवर में कोई बड़ा जहाज नहीं आ सकता है, क्योंकि उसका रीवर बैड ऊंचा आ गया है। जितनी ऊंचाई में वर्षा होगी, उससे वर्षा के समय में डिबरी ब्रह्मपुत्र में आ जाती है और उसके आ जाने से इसका रीवर बैड ऊंचा हो गया है। आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि किसी-किसी जगह में ब्रह्मपुत्र की 20-25 फुट दूरी तक लेंथ बढ़ी हुई है, उसका इतना डेल्टा हो गया है, इतनी डीप हो गई है कि नदी इधर-उधर घूमकर जा रही है और उससे सब लोग इधर-उधर जा रहे हैं। अगर इसको एक ही रास्ते में सीधा किया जाये तो खेती के लिए बहुत मिट्टी इससे निकलेगी और लोगों की परेशानी दूर होगी।

हर वर्ष ब्रह्मपुत्र से इतनी ज्यादा क्षति होती है, इतना ज्यादा जान-माल का नुकसान होता है, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। मैं यह सोचता हूं कि यह सब करने से निश्चय ही हिमालय में हम लोगों का जो राष्ट्रीय हिमालय राज्य विकास बोर्ड बनने वाला है, यह बोर्ड बनने से हम लोगों का ऐसा बहुत कुछ है, जिसमें हम लोगों को बोलना है, मैं सोचता हूं कि यदि आप लोग इसमें हम लोगों को, पार्लियामेंट के मैम्बर्स को रखेंगे तो यह सब करने के लिए हम सब लोग साथ में रहकर सुझाव दे सकते हैं, इससे इसका उपाय निकाला जा सकता है।

अरुणाचल प्रदेश में इतने भारी हाइड्रो पावर प्रोजैक्ट्स बन रहे हैं, यह हम लोगों के लिए बहुत लाभकारी व्यवसाय है, लेकिन हम लोगों के लिए सबसे बड़ा वाटर बम भी है। अभी वहां इतने भारी हाइड्रो पावर प्रोजैक्ट सैंक्शन हुए हैं, जो कभी एक इरोज़न में टूटने से हम लोगों के असम के आधे भाग को बहाकर ले जाएंगे। आप वहां उसे हाइड्रो पावर प्रोजैक्ट बोलते हैं, लेकिन हम लोगों के लिए वे वाटर बम हो रहे हैं। जहां पानी डीपर हो गया है, वहां कभी ऐसा होगा कि असम के आधे भाग को बहाकर ले जायेगा। वहां पानी की इतनी हाइट होगी कि 20-30 फुट तक पानी आयेगा, जिसमें हमारे असम में ब्रह्मपुत्र में दोनों साइड में जितनी जगह है, उसको वाश आउट करके एक ही बार में ले जाने का भयानक डर है।

मैं इसका उदाहरण भी मैं दे सकता हूं। रंगनदी रीवर में जो हाइड्रो पावर प्रोजैक्ट लगाया गया, इसमें जितना इरोज़न, जितनी क्षति हुई, इसका हमारी स्टेट गवर्नमेंट को और जिसकी प्राइवेट प्रोपर्टी गई है, इसके लिए कोई गवर्नमेंट की तरफ से या दूसरी तरफ से उनको क्षतिपूर्ति नहीं मिली है। यह सब हिमालयी स्टेट की, हम लोगों की पहाड़ी स्टेट्स की जो समस्या है, यह हम सब लोग वहां रहने से बोल सकते हैं और हम लोग बड़ी विपत्ति से बच सकते हैं।

कश्यप जी जो प्रस्ताव लाये हैं, उसका मैं पूर्ण समर्थन करता हूं और मैं आशा करता हूं कि पूरा सदन मिलकर इसे पारित करेगा, ताकि इस पर अमल हो सके। हमारे सभी सदस्य मित्रों ने बोला है कि यह समयोपयोगी और बड़ा अच्छा प्रस्ताव है, इसलिए इस पर अमल किया जाये और इसमें जो कुछ भी करना है, इसका टाइम बाउंड प्रोग्राम हो, ताकि देश का लाभ हो सके।

मैं यही बोलकर, आपने मुझे जो समय दिया, उसके लिए धन्यवाद देते हुए मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

**श्री प्रदीप टम्टा (अल्मोड़ा):** माननीय सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस विषय पर बोलने का मौका दिया। मैं पहली बार इस सदन में चुनकर आया हूं और मुझे सौभाग्य है कि मुझे उसी विषय पर बोलने के लिए भी मौका मिला, जिसकी वजह से मैं आज यहां पर हूं। मैं अल्मोड़ा से सांसद हूं और मैं सम्माननीय सदस्य श्री वीरेन्द्र कश्यप जी के इस प्रस्ताव का समर्थन भी करता हूं कि हिमालयी राज्यों के विकास के लिए एक अलग विकास बोर्ड बनना चाहिए।

मैंने बहुत से सदस्यों की सारी बातें सुनीं। दो-तीन बातें मैं भी कहना चाहता हूं। आज पूरे हिमालय को लेकर एक अलग हिमालय नीति बनाने की जरूरत है। हिमालय देश का मस्तक है। हिमालय इस देश की सभ्यता, संस्कृति का द्योतक है, लेकिन आज उस पर संकट है। यहां वन संरक्षण की बात कही गयी। बहुत से सदस्यों ने कहा कि आज फारेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के कारण हिमालय के विकास कार्य रूक गए हैं। मैं पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा जी का बहुत-बहुत आभारी हूं। मैंने अपने सामाजिक जीवन की शुरूआत वहीं से की। जब हिमालय के अंदर एक आंदोलन चला था, जंगलों को बचाने का आंदोलन, जिसको दुनिया में लोग चिपको आंदोलन के नाम से जानते हैं या वन आंदोलन के नाम से जानते हैं। आज यूरोप, अमेरिका सहित पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग की बात कह रही है, उस समय पूरी दुनिया अपनी जीवनशैली के कारण इन जंगलों को बर्बाद करने में लगी हुयी थी। सिर्फ उसी हिमालय क्षेत्र की हमारी मां-बहनों ने, विद्यार्थियों ने एक आंदोलन चलाया था कि हिमालय को बचाना है, तो जंगलों को बचाना चाहिए। उस आंदोलन के दौरान सत्तापक्ष के दमन चक्र हमने सहे और एक मांग की कि हिमालय के जंगलों को बचाना चाहिए। तत्कालीन देश की प्रधानमंत्री ने इस बात को सुना और फारेस्ट कंजर्वेशन एक्ट बना, जिससे जंगलों को बचाया जा सका। आज तक मेरी समझ में नहीं आया कि चोरियां होती हैं, डकैतियां होती हैं, लेकिन कोई मांग नहीं करता कि थानों को बंद कर दिया जाए, बल्कि लोग मांग करते हैं कि कानून का और कड़ाई से अनुपालन किया जाए। लेकिन यहां जब-जब पर्वतीय क्षेत्र के विकास की बात होती है, तो फारेस्ट कंजर्वेशन एक्ट को एक विलेन के रूप में चित्रित किया जाता है। राज्य सरकारों के जो विभिन्न विभाग हैं, डेवलपमेंट के विभाग हैं, पीडब्ल्यूडी विभाग है, फारेस्ट विभाग है, जिले से लेकर राज्य तक और राज्य से लेकर केंद्र तक कोई को-आर्डिनेशन नहीं है। मैं जब विद्यार्थी था, तब हजारों ट्रक उस हिमालय से, नदियों से निकलते हुए मैंने देखे थे, सड़कों से निकलते हुए देखे थे। हिमालय में आज जो जंगल बचे हैं, हिमालय बचा है, हिमालय का पानी बचा है, तो वह उस जंगल आंदोलन की वजह से बचा है, फारेस्ट कंजर्वेशन एक्ट की वजह से बचा है और इसमें किसी भी तरह का परिवर्तन मैं समझता हूं कि इस देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगा। अगर हिमालय का फारेस्ट नहीं बचेगा, तो सिर्फ संकट हिमालय के

ऊपर नहीं आएगा, बल्कि उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल जो इस देश की सभ्यता-संस्कृति की मुख्य कड़ियां हैं, उन पर भी संकट आएगा।

मित्रों, आज हिमालय में तीन चीजें हैं - जल, जंगल और जमीन। ये तीन हिमालय की मूल आत्मायें हैं। जंगल को किसी तरह से हिमालय की बहनों और नौजवानों ने, जब पूरा देश और न कोई वैज्ञानिक और न ही दुनिया इस सवाल को उठा रही थी, तब अल्मोड़ा, पौड़ी, चमोली की महिलाओं ने, नौजवानों ने उन जंगलों के लिए सवाल उठाया। आज भी जंगलों को बचाने के लिए आंदोलन जारी है। एक माननीय सदस्य ने कहा कि जंगलों को लोग नहीं बचा पा रहे हैं। यह अलग बात है कि जंगलों पर लोगों के जो ट्रेडिशनल राइट हैं, उनको सरकारें और विभाग रिकगनाइज नहीं कर रहा है। उनको वह राइट नहीं दे रहा है। फारेस्ट आंदोलन की एक बहुत बड़ी मांग थी, जिसको हम हकोकू कहते हैं कि जंगल के लोगों के जो ट्रेडिशनल राइट थे, वे उनको दिए जाएं। वे राइट उस अनुपात में नहीं दिए जा रहे हैं। वन विभाग अपने डिपार्टमेंट का शिकंजा बनाए रख रहा है। जब पूरा उत्तराखंड जंगलों की आग से सुलग रहा था, उसी पौड़ी जिले के 8 ग्रामीण किसान जंगलों को बचाने के लिए गए और शहीद हो गए। मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि जिस तरह से देश की रक्षा के लिए सीमा पर जो जवान लड़ते हैं, उसी तरह से जंगलों को बचाने के लिए जो पौड़ी जिले के 8 किसान शहीद हुए, उनको भी उसी तरह राष्ट्रीय पुरस्कार और शहीद का दर्जा दिया जाए और उनकी शहादत को रिकगनाइज किया जाए। जब किसान, जंगल के लोग जंगलों को बचाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और उनकी शहादत को हम रिकगनाइज नहीं करेंगे, तो जंगल कैसे बचेंगे? आज फारेस्ट विभाग पाइन्स के जंगल लगा रहा है। जंगलों को बचाने के लिए वहां के लोगों की जो ग्राम पंचायतें हैं, जो नियोजन कर सकती हैं। उन दोनों का समन्वय किया जाए कि किस तरह के जंगल हमें लगाने चाहिए, चारे के हों या किसी और तरह के फारेस्ट हों, जो वहां के लोगों से जुड़े हुए हों। अगर उस तरह की एक मैकेनिज्म बनाया जाएगा, जिसमें वहां की ग्राम पंचायत, स्थानीय लोग और जंगल विज्ञान, जंगल बचाने के लिए एक-दूसरे की नॉलेज को शेयर करेंगे, उससे जंगल बढ़ेंगे।

दूसरा सवाल नदियों का है, पानी का है। मेरे संसदीय क्षेत्र से एक आंदोलन शुरू हुआ जो कोसी बचाओ आंदोलन की तरह आज पूरे उत्तराखंड के अंदर नदी बचाओ आंदोलन बन गया है।

आज इस सदन में यह बात आई कि पूरा हिमालय पानी से प्यासा है, गांवों के गांव प्यासे हैं। सामने से नदी निकल रही है और ऊपर खेत प्यासे हैं। हिमालय के खेत प्यासे हैं, हिमालय के लोग प्यासे हैं। लेकिन हमारी नजर हिमालय के लोगों के पीने के पानी की समस्या को दूर करने पर नहीं है, हमारी नजर हिमालय के खेतों के सिंचाई के संकट को दूर करने पर नहीं है, हमारी नजर उस पानी का उपयोग गैर खेती या दूसरे इरादों पर करने की है। मैं इस सदन के माध्यम से एक सवाल रखना चाहता हूं। हमारे मित्र ने कहा कि हिमालय में तमाम हाइड्रो-पावर प्रोजैक्ट बन सकते हैं। हिमालय में चलने वाले इस तरह के तमाम प्रोजैक्ट्स चाहे टनलों के माध्यम से हों, मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक गांव के लोगों के साथ एक कम्पनी ने समझौता किया। 20 किलोमीटर टनल निकाल दी। उन्होंने कहा कि हम आपके लोगों को रोजगार देंगे, हम आपको पांच-पाच लाख रुपये मुआवजा देंगे। जिला प्रशासन के जरिए समझौता हुआ। आज जब उस गांव के लोगों ने उस समझौते को लागू करने की मांग की, तो जिला प्रशासन और उस कम्पनी ने उस गांव के लोगों के ऊपर आपराधिक मुकदमे दर्ज कर दिए कि ये हमें अपना काम नहीं करने दे रहे हैं। बीस-बीस किलोमीटर टनल में नदियां चली गईं। यदि बीस किलोमीटर टनल में नदी जाएगी तो उस बीस किलोमीटर के अंदर आने वाले गांवों का क्या होगा, खेतों का क्या होगा, पेयजल का क्या होगा, इस बारे में सोचने की जरूरत है। आखिर हम उनके लिए क्यों नहीं सोचते। ऊर्जा राष्ट्र की जरूरत है। इस देश में बहुत वैज्ञानिक हैं। ऊर्जा के लिए दूसरे रिसोर्स का प्रयोग किया जा सकता है। सौर ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी या दूसरे साधनों का प्रयोग किया जा सकता है। मेरे हिसाब से पानी का पहला उपयोग लोगों के पेयजल के लिए है। दूसरा हिमालय के खेतों का है। अगर हिमालय के खेतों को नहीं बचाया गया, वहां माइग्रेशन हो रहा है, इससे हिमालय में संकट हो जाएगा। तीसरा, हम सब कह रहे हैं कि हिमालय में पर्यटन उद्योग होगा। शहरी क्षेत्र हो, ग्रामीण क्षेत्र हो, पर्यटन इंडस्ट्री पानी पर निर्भर है, लेकिन हमारे पास पर्याप्त पानी नहीं है।

जल, जंगल के अलावा हिमालय में एक संकट जमीन का है। पूरे क्षेत्र में विशेषकर जो खेती की जमीन है, वहां पर खड़िया और साफ्ट स्टोन की अनेक माइन्स लगा दी गयी हैं। मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं कि राज्य का धर्म कमजोर की रक्षा करना है, राज्य का काम किसान की जमीन की रक्षा करने का है। मेरे संसदीय क्षेत्र विशेषकर बागेश्वर के अंदर राज्य सरकार द्वारा खड़िया खनन के लिए जो लाइसेंस दिया जा रहा है, उस पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। आज पूरी साफ्ट स्टोन इंडस्ट्री भू-माफियाओं द्वारा चल रही है। हमारे वहां लैंड का मेजरमैंट नाली के रूप में होता है। एक एकड़ में 20 नाली होती है। किसी के पास पांच नाली है तो किसी के पास दस नाली है। सब खड़िया माफियाओं के कब्जे में है। मैं उन क्षेत्रों में गया हूं। सरकारों ने मेमोरेंडम दे दिया है, प्रशासन कहता है कि दस मीटर से ज्यादा नहीं खोदा जायेगा,

लेकिन 20-20 मीटर खुद रहा है और कोई पूछने वाला नहीं है कि माइन्स एक्ट का क्या हाल है? मेरा कहना है कि जिस तरह इंदिरा गांधी जी ने साफ्ट स्टोन, लाइम स्टोन से देहरादून को बचाया था, आज हिमालय के उत्तराखंड के लोगों को, विशेषकर मेरे संसदीय क्षेत्र बागेश्वर और पिथौड़ागढ़ में साफ्ट स्टोन की इंडस्ट्री है, गरीब किसान लालच में आ जाते हैं कि इस जमीन में क्या होगा, जब उन्हें दो हजार रुपये नहीं मिलते, लेकिन अचानक 20 हजार रुपये दिखते हैं, 50 हजार रुपये कैश दिखते हैं, ठेकेदार के लोग जाते हैं, प्रशासन के लोग जाते हैं, पैसे का लालच होता है और उसके बाद धमकी भी दी जाती है। मसल पावर और मनी पावर के संदर्भ में राज्य को आगे आना चाहिए।

मैं माननीय सभापति महोदय के माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा कि माननीय सदस्य का जो प्रस्ताव है कि हिमालय डेवलपमैंट अथारिटी बननी चाहिए, यह एक स्वागत योग्य कदम है। लेकिन उसके साथ-साथ हिमालय के लिए एक अलग दृष्टिकोण की जरूरत है, एक अलग नीति की भी जरूरत है। पूरे क्षेत्र में इन्फ्रास्ट्रक्चर का बुरा हाल है। वहां सड़कें नहीं हैं। हमारे वहां टनकपुर से जॉलजुड़ी सीमांत क्षेत्र का इलाका है। वहां आज तक मोटर रोड नहीं बनी है। बिजली के टनल के लिए हमारे पास 20 किलोमीटर की टेक्नोलॉजी है। लेकिन हिमालय क्षेत्र में रेलवे के टनल क्यों नहीं जा सकते? ...(व्यवधान) मेरा कहना है कि विज्ञान का उपयोग स्थानीय लोगों के हक में क्यों न हो? जब हम बिजली पैदा करने के लिए 20 किलोमीटर टेक्नोलॉजी की टनल बना सकते हैं, तो हिमालय क्षेत्र में रेलवे के प्रौजेक्ट क्यों नहीं जा सकते। जितने भी इस तरह के प्रौजेक्ट हैं, जैसे रेल इंडस्ट्री है, टनकपुर से बागेश्वर है, रामनगर से चौखुटिया है। इन तमाम हिमालय के प्रौजेक्ट्स को नैशनल प्रौजेक्ट्स के रूप में आगे बढ़ाया जाये।

अंत में, मैं एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा कि हिमालय क्षेत्र में जो केन्द्रपोषित परियोजना चल रही है, उसकी मौनीटरिंग की सख्त आवश्यकता है। बॉर्डर एरिया डेवलपमैंट फंड बनाया गया है जिसमें केन्द्र सरकार करोड़ों रुपया दे रही है, लेकिन वह पैसा बिना यूज किये हुए वापिस आ रहा है।

मैं एक बार फिर आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं सम्मानित सदन से अनुरोध करूंगा कि यह प्रस्ताव स्वीकार योग्य है इसलिए केन्द्र सरकार को इसे स्वीकार करना चाहिए।

अगर इसका कांस्टीट्यूशन हो, तो उसमें प्रधानमंत्री जी को, चूंकि हिमालयन स्टेटस का सवाल है, इसलिए प्रधानमंत्री जी को चेयर करना चाहिए और लोकसभा तथा तमाम राज्यों के सम्मानित सदस्यों या देश के अन्य सदस्यों को इसमें जगह मिलनी चाहिए।

MR. CHAIRMAN : Hon. Members, the time allotted for this discussion is over now. If the House agrees, the time for the discussion on this Resolution may be extended by one hour.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI V. NARAYANASAMY): It is a very important subject.

MR. CHAIRMAN: Thank you. Now, I call the next hon. Member Shri Tathagata Satpathy to speak.

SHRI TATHAGATA SATPATHY (DHENKANAL): Mr. Chairman, Sir, I cannot but support the Private Member's Resolution on the National Board for the Development of the Himalayan States. It is a brilliant idea and I must congratulate the hon. Member of Parliament who has brought forward this Resolution. But, Sir, let us not limit this to making it like a bloated District Vigilance and Monitoring Committee kind of a set up.

As you know, the Himalayas are a very important geographical part of the whole globe, the whole world. They have a major role to play in the environmental balance not only for this sub-continent but also for the whole of Asia as such and thereby we can assume for the rest of the world too.

There are basically two types of rivers that we see in this sub-continent. One is the perennial rivers that flow twelve months a year, come rain, come sunshine and most of them originate from the Himalayas, from the glaciers. The other one is the peninsular type which is mostly rain-fed and we find that because of a lot of procrastination on the part of the Central Government, when it comes to the project to connect inter-linking rivers which we were hearing about in the late 1990s and the earlier 2000, nothing has actually been done in that aspect thereby we have deprived the people of this sub-continent of getting drinking water, water for irrigation. So, the large tracts of this country today, especially in 2009, are reeling under acute shortage of drinking water. It is so because there are no signs of the monsoon yet and our agriculturists have been very badly hit. So, let us not minimize the problem of safeguarding the Himalayas to only a few States or look at it with myopic eyes as if it is a rural development issue or something like that.

The Himalayas, with the environmental importance that they enjoy, have to be safeguarded. We all know that the glaciers are melting fast and they are melting so fast that it is said that by the year 2025, the Himalayan rivers, the so-called perennial rivers will start drying up and this will affect the whole of India, Pakistan and Bangladesh. A famine-like situation might continue for a very long time.

Therefore I would suggest that a human and environmentally balanced outlook at this zone is very necessary. It is not only a problem of the Northeast or Himachal Pradesh or Jammu and Kashmir, but the Himalayas have to be looked at in a very holistic manner, in a very total manner. In this area, we can produce a lot of hydro electricity and that should be able to give energy to major parts of this country. Instead of doing that in a balanced way where strict environmental monitoring is maintained at all times, we are allowing this area to be plundered and looted. If we go to even hill stations like Shimla, Manali and Nainital, these towns have become ugly slums now. I remember, as a child when I used to go to Shimla and other hill stations, they had a lot of trees and greenery and they used to be genuinely cold. Now when you go there in the summer, even the mountains have started getting hot. That means, somewhere down the line, we have made a major mistake by which we have tinkered with the environment of these areas and have very badly damaged these areas. So, the Himalayas have to be protected while keeping in mind the environmental conditions of that area.

Sir, I had the pleasure, in the last Lok Sabha, to be invited to Tajikistan and the way the Chinese have moved into Kyrgyzstan, Tajikistan and those Central Asian countries is amazing. They are taking care of the environment very well and yet building up infrastructure there. In India, what we see is, if we want to build a road, the first casualties are the trees and the natural water bodies. We destroy our environment whereas on the other hand, in those areas, especially in Tajikistan, the Chinese have actually taken a lot of care to protect environment.

Therefore I would like to sum up my speech and say that while talking of the Himalayas, let us not have a narrow outlook on the issue. Let us also think of the greater interest of the whole Sub-Continent and of the complete area, starting from Kashmir right up to Brahmaputra in Assam and Arunachal Pradesh. We have to look at it in a total manner. In the last Lok Sabha we were discussing that Arunachal Pradesh alone has the capacity to produce 65,000 MW of hydro electric power if the resources are properly tapped. That means, we have enough

resources, but we have to maintain these resources with a sustainable outlook and take care of the environment while having a human face.

So I would like to wholeheartedly support the setting up of the Board that is being suggested in this Resolution. But the ambit of the Board should be much greater. It should not be limited only to become a rural development monitoring board; it should rather look at the environment, look at the interests of the people of those areas and give them infrastructure without destroying nature which is at its best in the Himalayas.

**श्री ओम प्रकाश यादव (सीवान):** सभापति महोदय, मैं सर्वप्रथम आपका आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आपने मुझे इस सदन में अपनी बात रखने का अवसर दिया।

महोदय, जहां तक राष्ट्रीय पर्वतीय विकास बोर्ड के गठन की बात है, मैं उसका समर्थन करते हुए आग्रह करना चाहूंगा कि कुछ ऐसे भी प्रांत हैं, जो समतल होने के बाद भी अपनी दयनीय स्थिति पर विवश हैं। जहां से मैं आता हूं, बिहार राज्य में प्राकृतिक आपदाओं के कारण, भीषण बाढ़ और भीषण सुखाड़ के कारण विकास की दर बहुत पीछे है। लाख प्रयास के बाद भी वहां के आम लोग बहुत दयनीय स्थिति में हैं, जिससे हम सभी लोग वाकिफ हैं। इसलिए हम आग्रह करेंगे कि वहां की आम जनता जिन मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, वह उसे उपलब्ध कराई जाएं। जो पिछड़े राज्य हैं, उनमें हमारे बिहार राज्य को भी समाहित करते हुए राष्ट्रीय विकास बोर्ड का गठन किया जाए, ताकि पूरे राष्ट्र का समुचित विकास हो सके।

बिहार राज्य एक समतल राज्य होने के बाद भी वहां केन्द्रीय विद्यालय तो हैं, लेकिन उनका अपना भवन नहीं है। वे दूसरों के भवनों में चल रहे हैं। उनका अपना कोई छात्रावास नहीं है। इसी तरह वहां थाने तो हैं, लेकिन उनका अपना भवन नहीं है। वहां के अस्पतालों की हालत बहुत जर्जर है। हमारी मांग है कि एक राष्ट्रीय विकास बोर्ड का गठन हो और उसमें जितने भी पिछड़े राज्य हैं, सभी को शामिल किया जाए।

इतना ही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

SHRI PREM DAS RAI (SIKKIM): Mr. Chairman Sir, thank you very much for giving me this opportunity of placing a few points in the discussion on the Private Members' Resolution that has been brought by Shri Virender Kashyap.

I fully support the Resolution and would like to say a few words in so far as the mountains are concerned. This is regarding the Himalayas, and so therefore, we have to look at it in terms of a mountain paradigm. I think, the entire issue is the understanding of what had been developed or what should be the way the development has to happen in the mountains and that has to be first understood. It is completely different from what you do in the plains or any other part of the country because the formation of the mountains, the way the societies are developed in the mountains, the way the people in the mountain actually live, calls for a different way of look at development.

I think, this is the central issue on hand and if we actually get to this issue, then I am sure that we would be in a position to not only commit the resources that are required but also have a look at the entire development scenario with that view in mind. Now, many of the speakers before me have already articulated much of the views and the problems that have been obtained in the mountains or the people of the mountains. The view on the environmental factors, the view on water and water resources have also been articulated.

I will not get into that but what I would like to do is, because I come from Sikkim, I would like to make a mention out here that Sikkim is the first State to actually constitute a commission to look at the glacier retreat and possible solutions. Indeed one of the biggest glaciers, which is over 750 sq. kms. in size which is known as the Zemu Glacier, is already receding at an alarming rate. This only is an indication of the global warming pattern affecting the mountains.

The second thing that I would like to bring to the notice of the House is that the entire Himalayas are facing a similar situation. So, therefore, it calls for a national consensus on how we are going to tackle the entire issue of glaciers and the melting of glaciers and its consequent action on the water resources that are

going to be made available to the entire Himalayan belt. You already know that some of our dams have already registered alarming decreases in water and that is due to the fact that the snow melt this year has been absolutely very minimal. These are signs of time and I would exhort the Government to look at this particular issue with the utmost of care. The Government on its part in the Eleventh Five Year Plan had commissioned the first Workgroup on Mountains and that is a positive sign because there are already indications within the Government that the mountains are very important.

Therefore, I would like to state that it is high time that we looked at the entire Himalayan Belt as an absolute strategic resource. It is not only strategic in terms of our security; it is strategic in terms of our development; it is strategic in terms of the overall environment.

There is the other aspect. This entire border stretch is closed. It is a stretch of almost 4000 kilometres which is closed in terms of border trade. In 2006, Nathula was opened up for border trade with Tibet and China. Today, we know that whatever little bit of trade that is going on is not of a substantial amount. Trade and other such mercantile activities across the border can fetch a lot of livelihood to the people of the mountains. You will recall that in 1962, after the borders were closed, there were huge losses on both the sides of the border. There are plenty of people on this side who also have relatives on the other side of the border. So the social cost of that particular closure has indeed been very great. We have to look upon this also as one way of linking great civilisations.

The other thing that I would like to bring to your notice is that the river Yangtze at some point of time is going to be diverted within China. That is a great cause of concern for the Brahmaputra and the people of Assam in general.

I would also like to say that the livelihood scenario in the mountains has to be looked again though the paradigm of the mountains, and the mountains need to be focussed as a different development model rather than just looking at it as a general development model. It is very difficult to build roads in the mountains. We have to look at local resources. We have to deal with the problem of carbon load. Whenever we take foodstuff and other commodities up into the mountains, there is a huge carbon load. I think, we need to look at all these things including transportation, including the entire way which we develop.

So, what I would request is that this particular Resolution be expanded in terms of its scope. I completely agree with the previous speaker that the ambit of the Board needs to be expanded in full and in a very comprehensive manner we should look at development in the mountains. As I said, if this is understood, then the other resources that need to be committed would follow suit.

SHRI THANGSO BAITE (OUTER MANIPUR): I am very happy to have this opportunity to speak on the Private Members' Resolution. I come from Manipur representing Outer Manipur. Majority of that area is hilly. In this regard, I would like to share with you the problems faced by the States of the Himalayan Region. Particularly, there are natural calamities; there are economic problems; there are communication problems that we face. I would like to point out Manipur in particular. Other States of North East also face the same kind of problems. In Manipur we have a number of problems particularly in hilly areas. Development of this region is very difficult because of the geographical factor. For construction of a road – say one kilometer stretch – in a valley area, it may take Rs. 1 crore or Rs. 10 lakh. But in hilly area, it requires three times or ten times of that amount. Therefore, I would like to draw the attention of the Central Government to the matters particularly relating to the hilly areas

The Himalayan Region States, particularly the hilly States, have no resources, and they solely depend on the Central Government for undertaking the developmental activities and other works. If the Central Government is not taking a bold step towards the Himalayan Region, then the people of the Himalayan Region will suffer.

As we know, India is one of the biggest democratic countries. The boundary States, particularly in the hilly region, are lagging behind the mainland in all respects. I would like to draw, once again, the attention of this august House and the Government of India to have a sympathetic attitude towards the boundary States. The constitution of the National Board for the development of Himalayan States is one of the remedial measures which should be taken up by the Government.

Lastly, I would like to say that this Region has not only economic and geographical problems but also some other social problems. The developmental works cannot be implemented properly because of social problems. Anti-social elements are there. Due to militant activities, we cannot take up the developmental activities properly. In this regard, I would like to draw the attention of the Ministry of Home Affairs also to control such militant activities so that the developmental works can be effectively implemented.

With these few words, let me conclude my speech.

DR. THOKCHOM MEINYA (INNER MANIPUR): Thank you, Mr. Chairman, Sir. I rise to participate in the discussion on the Resolution moved by my hon. Friend, Shri Virender Kashyap.

Actually, this type of a Board is a necessity for the regions which we always categorize as 'difficult area Regions'. The Himalayan Region, as we know, has got a lot of problems on its own. For example, when we talk of natural calamities, in Delhi we do not rather think in terms of having an earthquake even though it comes very seldom here but in the Himalayan Region, earthquakes come very often.

My friend has just now mentioned about certain problems of the State of Manipur. Manipur happens to be at the tail end of the Himalayan Ranges. Of course, we are far away from Jammu and Kashmir and other places. Even then, we still feel the tremor and whatever difficulties we have in Jammu and Kashmir and the other border States of the country.

While drawing the attention to formation of this particular Board, I would like to mention that we have a particular Ministry under the Government of India, that is, Development of North-Eastern Region (DONER), which is functioning as the constitutional body for the entire North-Eastern Region. While constituting this particular Board, we shall not go in terms of, what is called, overlapping the powers and functions of this Ministry. Sometimes it might happen that when we have a body looking after the entire North-Eastern Region – this North-Eastern Region comes under the Himalayan Ranges also – we have to look at that demarcation while considering this.

**18.00 hrs.**

MR CHAIRMAN : Hon. Member, you may continue your speech next time.

DR. THOKCHOM MEINYA : Thank you, very much. This time, I came unprepared also. So, next time, I would come well prepared and continue my speech.